संलग्नक - 01

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14 अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ-226001.
CIN : U32201UP1999SGC024928.

SL- 04

संख्या–1753–शि0जॉ0–05(एफ)/पाकालि/22–7(18)05एफ/2022 दिनांक: 28 मई, 2022

मुख्य अभियन्ता(जॉच समिति)
पत्र वाहक द्वारा
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
एस0एल0डी0सी0 परिसर,
निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड गोमती नगर,
लखनऊ।

विषयः– श्री संजय कुमार जैन (अभिज्ञान सं0–8626), मुख्य अभियन्ता, विद्युत जानपद क्षेत्र, पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी एवं श्री कृष्ण मोहन राव, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता(अभिज्ञान संख्या–8637), विद्युत जानपद मण्डल(वितरण), पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी द्वारा अपने तैनाती अवधि में की अनियमितता की शिकायत में अंतर्ग्रस्तता के कारण, विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही/जॉच किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक, प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी के पत्रांक–922–पू0वि0वि0नि0लि0(वा0)/(अनु0 कार्य0)/923 दिनांक 12.04.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री संजय कुमार जैन (अभिज्ञान सं0–8626), मुख्य अभियन्ता, विद्युत जानपद क्षेत्र, पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी एवं श्री कृष्ण मोहन राव, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता(अभिज्ञान संख्या–8637), विद्युत जानपद मण्डल(वितरण), पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी के विरूद्ध श्री रामनाथ, एडवोकेट, मा0 उच्च न्यायालय, प्रयागराज ने अपने मुव्वकिल श्री चन्द्रशेखर, वाराणसी द्वारा की गयी शिकायत दिनांक 08.03.2022 पर जॉच कराने का अनुरोध किया गया है, जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही/जॉच कराये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

अतः अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये अनुमोदन के अनुसार पत्रावली संख्या 7(18)05एफ/2022 के टिप्पणी एवं आदेश पृष्ठ संख्या 5 व 6, प्रश्नगत शिकायती पत्र दिनांक 08.03.2022 मय संलग्नकों सहित छायाप्रति प्रेषित करते हुये मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया श्री संजय कुमार जैन (अभिज्ञान सं0–8626), मुख्य अभियन्ता, विद्युत जानपद क्षेत्र, पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी एवं श्री कृष्ण मोहन राव, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता(अभिज्ञान संख्या–8637), विद्युत जानपद मण्डल(वितरण), पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी के विरूद्ध अनुशासनिक/जॉच कार्यवाही सम्पादित कर, जॉच आख्या कारपोरेशन(मुख्यालय) को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

यह भी अवगत कराना है कि यदि श्री जैन की सेवानिवृत्त सनिकट हो तो, सेवानिवृत्त दिनांक से पूर्व आरोप पत्र हस्तगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक – यथोपरि।

भवदीय,
(हस्ताक्षर) 28/05/22
(बी0एल0 यादव)
अनु सचिव (शि0जॉ0–05एफ)

BSK- 05F(C3)

का0/ज्ञा

संलग्नक-02

(1)

कार्यालय मुख्य अभियंता 'जाँच समिति'

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड

एस0एल0डी0सी0 परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड

गोमती नगर लखनऊ-226010

CIN: U32201UP1999SGC024928, Email- ceenquiry.uppcl@gmail.com

पत्रांक: 1248 /सं0-234/जाँ0स0/(05/22)   दिनांक : 06-08-2022

विषय: श्री कृष्ण मोहन राव (8637), तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल (वितरण), पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी, सम्प्रति सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के मामले में 'जाँच समिति' की जाँच आख्या।

निदेशक (का0 प्र0 एवं प्रशा0)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
14-अशोक मार्ग शक्ति भवन,
लखनऊ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कॉरपोरेशन के पत्रांक 1753-शि0जाँ0-05(एफ)/पाकालि/22-7(18)05एफ/2022 दिनांक 28.05.2022 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा उक्त प्रकरण अनुशासनिक कार्यवाही के सन्दर्भ में 'जाँच समिति' को सौंपा गया था।

उक्त सन्दर्भ में श्री कृष्ण मोहन राव (8637), तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल (वितरण) पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी, सम्प्रति सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के मामले में 'जाँच समिति' की यथा निर्देशित आख्या सम्बन्धित पत्रावली के साथ जिसमें आरोप पत्र की प्रति, पावती, 'जाँच समिति' की कार्यवाही एवं अन्य पत्र व्यवहार हैं (सभी सील्ड लिफाफे में), कॉरपोरेशन के अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: यथोपरोक्त।

1. जाँच आख्या (पृष्ठ-01 से 06)
2. केस सं0-234/जाँ0स0/(05/22)
   केस पत्रावली (पृ0सं0-01 से 87)

भवदीय

(अरूण कुमार रावल)
मुख्य अभियन्ता (जाँ0स0)

मुख्य अभियन्ता (जाँच समिति)
उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लिमि0

कार्यालय मुख्य अभियंता 'जाँच समिति'

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
एस0एल0डी0सी0 परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड
गोमती नगर लखनऊ-226010
CIN: U32201UP1999SGC024928, Email- ceenquiry.uppcl@gmail.com

विषय– उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्रांक 1753–शि0जॉ0–05(एफ)/पाकालि/22–7(18)05एफ/2022 दिनांक 28.05.2022 द्वारा सन्दर्भित प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त श्री कृष्ण मोहन राव (8637), तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल (वितरण), पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी, सम्प्रति सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता के मामले में जाँचोपरान्त जाँच समिति की जाँच आख्या।

प्रस्तावना–

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्रांक 1753–शि0जॉ0–05(एफ)/पाकालि/22–7(18)05एफ/2022 दिनांक 28.05.2022 द्वारा सन्दर्भित प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त श्री कृष्ण मोहन राव (8637), तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल (वितरण), पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी, सम्प्रति सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का प्रकरण संस्थित करते हुए जाँच समिति को संदर्भित किया गया, जो जाँच समिति के कार्यालय में जाँच संख्या–234/जॉ0स0/(05/22)/पर संस्थित हुआ।

सन्दर्भित प्रकरण में उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली 2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जाँच कर आख्या पावर कारपोरेशन को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

कॉरपोरेशन से प्राप्त अभिलेखों के आधार पर, आरोप पत्र की संरचना की गई तथा आरोपित सेवक के निवास पते डी/03/51, अंसल ए0पी0आई0, गोल्फ सिटी, शहीद पथ, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ–226030 पर पत्रांक–1013/मु0अ0जॉ0स0/पाकालि/2022/234–05/2022 दिनांक 20.06.2022 (प0पृ0सं0–01) द्वारा आरोप पत्र संख्या 1009/सं0–234/जॉ0स0/(05/22) दिनांक 20.06.2022 (प0पृ0स0–02 से 13) प्रेषित किया गया, जो आरोपित सेवक को प्राप्त हो गया।

आरोपित सेवक ने अपने पत्र दिनांक 04.07.2022 के द्वारा अपना लिखित अभिकथन जाँच समिति को प्रस्तुत किया जो जाँच समिति कार्यालय में डायरी सं0–1448 दिनांक 25.07.2022 पर अंकित हुआ (प0पृ0सं0–14 से 18)। जाँच समिति के पत्रांक 1185/मु0अ0जॉ0स0/पाकालि/2022/234–05/2022 दिनांक 26.07.2022 द्वारा आरोपित सेवक को दिनांक 30.07.2022 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। आरोपित सेवक उक्त तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए एवं अपना बयान दर्ज कराया (प0पृ0सं0–19 से 24)। आरोपित सेवक ने अपने पत्र दिनांक 05.08.2022 द्वारा कुछ अतिरिक्त अभिलेख/साक्ष्य जाँच समिति उपलब्ध कराये, जो जाँच समिति कार्यालय में डायरी सं0–1618 दिनांक 05.08.2022 पर अंकित हुआ (प0पृ0सं0–25 से 48)।

इस प्रकार आरोपित सेवक के ऊपर लगाये गये आरोप, लिखित अभिकथन, व्यक्तिगत सुनवाई में दिये गये बयान एवं अन्य संलग्न साक्ष्यों सहित पत्रावली का गहन अध्ययन कर जाँच समिति द्वारा अपनी विवेचना का समावेश कर जाँच आख्या तैयार की गयी, जो निम्नवत् है–

विवेचना आरोप सं0–1

अभियोजित आरोप– पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के अन्तर्गत विद्युत जानपद मण्डल (वितरण), वाराणसी द्वारा सिविल कार्यों के टेण्डर/अनुबन्ध में कार्यों की दरों हेतु उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0 की इकाई विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज/गोरखपुर के द्वारा जारी शेड्यूल दरों को वर्ष 2017 एवं 2021 में पूर्णतयः अंगीकृत करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया गया।

वरिष्ठ लेखाधिकारी (जाँच समिति)
उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लिमि0

मुख्य अभियन्ता (जाँच समिति)
उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लिमि0

कार्यालय मुख्य अभियंता 'जाँच समिति'
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
एस0एल0डी0सी0 परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड
गोमती नगर लखनऊ-226010
CIN: U32201UP1999SGC024928, Email- ceenquiry.uppcl@gmail.com

वर्ष 2017 में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज के कार्यालय ज्ञाप सं0-1602 दिनांक 01.09.2017 द्वारा जारी शेड्यूल ऑफ रेट को अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल, वाराणसी के कार्यालय ज्ञाप सं0-3862 दिनांक 23.09.2017 द्वारा पूर्णतयः अंगीकृत किया गया एवं तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। परन्तु आपके द्वारा वर्ष 2020 में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज के कार्यालय ज्ञाप सं0-963 दिनांक 02.07.2020 द्वारा जारी नये शेड्यूल रेट को अपने कार्य क्षेत्र हेतु अंगीकृत कर लागू नहीं किया गया तथा वर्ष 2017 के ही पुराने शेड्यूल रेट को प्रभावी रखा गया। दिनांक 10.11.2021 को उक्त अनियमितता से सम्बन्धित खबरें दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुयीं जिसका संज्ञान लेते हुए श्री अरविन्द कुमार सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता द्वारा वर्ष 2021 में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज के कार्यालय ज्ञाप सं0-1696 दिनांक 23.09.2021 एवं अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, गोरखपुर के कार्यालय ज्ञाप सं0-1020 दिनांक 24.09.2021 द्वारा जारी नये शेड्यूल रेट को कार्यालय ज्ञाप क्रमशः सं0-2605 दिनांक 11.11.2021 एवं सं0-2604 दिनांक 11.11.2021 द्वारा संबंधित क्षेत्रों हेतु अंगीकृत किया गया।

इस प्रकार जुलाई 2020 से लेकर नवम्बर 2021 तक विद्युत जानपद मण्डल (वितरण), वाराणसी द्वारा पुराने शेड्यूल रेट पर ही कार्य कराया गया। वर्ष 2017 के शेड्यूल ऑफ रेट में सिविल कार्यों हेतु निर्धारित दरें काफी ज्यादा थी जबकि वर्ष 2020 की शेड्यूल ऑफ रेट की दरें वर्ष 2017 की तुलना में कम थीं। नियमानुसार कॉरपोरेशन कार्यहित में आप द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में पारेषण यूनिटों द्वारा वर्ष 2020 में निर्धारित शेड्यूल ऑफ रेट को लागू करना चाहिए था जो कि आपके द्वारा नहीं किया गया।

आप द्वारा अपने पद एवं अधिकार का दुरूपयोग करके माह जुलाई 2020 से नवम्बर 2021 तक लगभग 16 माह तक बढ़ी हुयी दरो पर निविदाएं आमंत्रित कर अनुबन्ध किये गये एवं तद्नुसार में ठेकेदारों को अनैतिक लाभ पहुँचाकर कॉरपोरेशन को वित्तीय हानि पहुँचायी गयी।

अतः माह जुलाई 2020 में नया रेट शेड्यूल लागू न करने, लगभग 16 माह तक नियम विरूद्ध तरीके से पुरानी बढ़ी हुयी दरों पर निविदाऐं आमंत्रित कर अनुबन्ध करने, स्वहित में फर्मों/ठेकेदारों को अधिक भुगतान करके कॉरपोरेशन को वित्तीय हानि पहुँचाने, अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने तथा उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 का उल्लंघन करने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाते हुए आपको आरोपित किया जाता है।

अभियोजित आरोप में आरोपित सेवक का कथन है कि मेरे सेवानिवृत्ति तिथि से पूर्व एक कथित पत्रकार श्री चन्द्रशेखर सिंह ने दिनांक 28.10.2021 को प्रबन्ध निदेशक महोदय पूर्वान्चल डिस्कॉम को सम्बोधित सिविल कार्यो के शेड्यूल रेट में गम्भीर अनियमितता की शिकायत की गयी थी जिसमें मेरे नाम का कहीं भी उल्लेख नहीं है। आरोप पत्र से यह स्पष्ट है कि मेरे ऊपर लगाये गये आरोप का आधार, शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये आरोप, संलग्न समाचार पत्रों की कटिंग की छाया प्रतियों में प्रकाशित समाचार तथा संलग्न किये गये शेड्यूल दरो के लागू करने सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप है। आरोप पत्र निर्गत करने से पूर्व शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये आरोप की सत्यता एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार की सत्यता की जांच कर पुष्टि नहीं की गयी। समाचार किस स्तर के समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है इसका भी कही उल्लेख नहीं है। प्रकाशित समाचार में केवल मुख्य अभियन्ता (जानपद) के नाम का उल्लेख है, मेरे नाम का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। कृत शिकायत एवं समाचार प्रकाशन से ऐसा

प्रतीत होता कि पूर्ण प्रकरण प्रायोजित है एवं जाँच समिति ने यह मान लिया है शेड्यूल रेट के जारी कार्यालय ज्ञाप के आधार पर सीधे ठेकेदारो को भुगतान कर दिया गया है, जबकि विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज एव गोरखपुर द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप में स्पष्ट लिखा है कि शेड्यूल ऑफ रेट मण्डल के अन्तर्गत कराये जा रहे जानपदीय कार्यो के प्राक्कलन एवं कार्य योजनायें बनाये जाने एवं अनुमानित लागत की गणना हेतु उपयोग में लाया जायेगा। जानपदीय कार्यो का सम्पादन खुली निविदाओं के द्वारा प्राप्त प्रतिस्पर्धात्मक दरो पर ही कराया जायेगा। कार्यालय ज्ञाप को पूर्वान्चल डिस्कॉम को पृष्ठांकित भी नहीं किया गया है।

आरोप में कहा गया है कि वर्ष 2017 के शेड्यूल ऑफ रेट में सिविल कार्यो हेतु निर्धारित दरें कॉफी ज्यादा थी एवं वर्ष 2020 के शेड्यूल ऑफ रेट की दरें वर्ष 2017 की तुलना में कम थी जबकि 2017 मे जारी शेड्यूल ऑफ रेट के कार्यालय ज्ञाप सं0 1602 दिनांक 01.09.2017 तथा वर्ष 2020 में जारी शेड्यूल ऑफ रेट के कार्यालय ज्ञाप सं0 963 दिनांक 02.07.2020 में दरो की कमी के विषय में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। जॉच समिति ने अपने इस आरोप की पुष्टि हेतु कोई साक्ष्य भी संलग्न नहीं किया है।

आपके संज्ञान में होगा कि शिकायतों पर किसी भी कार्यवाही से पूर्व शासनादेश सं0 13/1/97–का–1/2012 दिनांक 01 अप्रैल 2012 एवं प्रबन्ध निदेशक के पत्र सं0 30–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2020–14–ज0स0/98(टी0सी0) दिनांक 09.01.2020 में निर्गत निर्देशों के बिन्दु 2 मे स्पष्ट है कि "अन्य स्रोतो/व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता से इस बारे मे एक शपथ पत्र उपलब्ध कराने तथा शिकायतों की पुष्टि हेतु समुचित साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा जाये।" यदि जांच समिति द्वारा उपरोक्त आदेशो के अनुपालन में कार्यवाही की गयी है तो शिकायतकर्ता से विभाग को करोड़ो की वित्तीय क्षति के सम्बन्ध में आरोप की पुष्टि हेतु आवश्यक उपलब्ध साक्ष्य के विषय में अवगत कराया जाये।

शिकायतकर्ता ने अपने शिकायत का आधार विभागीय अनुसूची दर के एक आइटम बालू की दरो में कमी को दर्शाते हुए करोड़ो के अधिक का भुगतान का अरोप लगाया है। यहां मै निम्न बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्टि कराना चाहुगां।

1. निर्माण कार्यो की अनुसूची में हजारो आइटमों की दरे निर्धारित की जाती है। शिकायतकर्ता ने अपने शिकायत में मात्र एक आइटम बालू की दरो में कमी का उल्लेख किया है एवं अन्य आइटमों के विषय में मौन है। सत्यता यह है कि शिकायतकर्ता के शिकायती पत्र के संलग्नक में ही उल्लेख है कि 2017 की अनुसूची दरों से 2020 के अनुसूची दरों में सिमेन्ट, गिट्टी एवं ईटो की दरों में बढ़ोत्तरी हुई है। यहां यह भी संज्ञानित कराना है कि वर्ष 2017 में मुद्रास्फीति की दर 3.33 प्रतिशत थी एवं 2020 में यह 6.62 प्रतिशत थी। अर्थात महंगाई दरों में 3.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसका असर निर्माण सामग्री की दरो में भी हुआ है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2017 से वर्ष 2020 तक मजदूरी दरों में भी वृद्धि हुई है, जिसके विषय में शिकायतकर्ता मौन है (गूगल में खोज के आधार पर)।
2. जैसा कि पूर्व में उल्लेखित किया गया है कि विभागीय अनुसूची दरों पर कार्य सम्पादन का कोई भी भुगतान नही किया जाता है। विभागीय अनुसूची दरें मात्र मार्गदर्शन हेतु कार्यो के प्राक्कलन तैयार करने के लिए होता है। अतः

कार्यालय मुख्य अभियंता जाँच समिति
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
एस0एल0डी0सी0 परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड
गोमती नगर लखनऊ–226010
CIN: U32201UP1999SGC024928, Email- ceenquiry.uppcl@gmail.com

शिकायतकर्ता द्वारा लगाया गया आरोप कि अनुसूची के एक आइटम की दर में कमी से विभाग को करोड़ो की क्षति हुई है बिलकुल बेबुनियाद है। कार्य सम्पादन हेतु विभागीय प्राक्कलन पर ई–निविदोपरान्त सक्षम निविदा कार्य समिति द्वारा वर्तमान बाजार भाव के दृष्टिगत निविदा दरो पर निर्णय लेती है एवं कार्य सम्पादन के पश्चात निविदा समिति द्वारा निर्णित दरो पर अनुबन्ध के बाद भुगतान किया जाता है। इस विभागीय निर्धारित प्रकिया में विभाग को क्षति का प्रश्न ही नही उठता ।

उपरोक्त शिकायत मेरे विरोधियों द्वारा द्वेष भावना से की गयी है ताकि मेरे पेंशन एवं सेवानिवृत्ति देयको के भुगतान में बाधा उत्पन्न की जा सके। इस सम्बन्ध में मैने अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड को अपना प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया है, जिसका छाया प्रतियां सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है। कृपया उपरोक्त तथ्यों एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर शिकायत को निक्षेपित करना चाहें।

<u>जाँच समिति का मत है कि पत्रावली में अवस्थित अभिलेखों से निम्नांकित तथ्य दर्शित होते है–</u>

1. वर्ष 2017 में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज के कार्यालय ज्ञाप सं0–1602 दिनांक 01.09.2017 (प0पृ0सं0–05) द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत, जानपदीय कार्यो के प्राक्कलन एवं अन्य योजनाओ के जानपदीय कार्यो के लिए अनुमानित लागत की गणना हेतु, जारी शेड्यूल ऑफ रेट को आरोपित सेवक, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल, वाराणसी के कार्यालय ज्ञाप सं0–3862 दिनांक 23.09.2017 (प0पृ0सं0–09) द्वारा पूर्णतः अंगीकृत किया गया एवं तत्काल प्रभाव से लागू किया गया।
2. वर्ष 2020 में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज द्वारा पूर्व में उनके कार्यालय द्वारा दिनांक 01.09.2017 को निर्गत शेड्यूल ऑफ रेट को पुनरिक्षित करने हेतु, वर्तमान बजार के दरों के आधार पर, अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत, जानपदीय कार्यो के प्राक्कलन एवं अन्य योजनाओं के जानपदीय कार्यो के लिए अनुमानित लागत की गणना हेतु, संशोधित शेड्यूल ऑफ रेट अपने कार्यालय ज्ञाप सं0–963 दिनांक 02.07.2020 (प0पृ0सं0–06) द्वारा जारी किया जो कि दिनांक 10.07.2020 से प्रभावी हुआ।
3. आरोपित सेवक द्वारा वर्ष 2020 में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज के कार्यालय ज्ञाप सं0–963 दिनांक 02.07.2020 (प0पृ0सं0–06) द्वारा जानपदीय कार्यो हेतु जारी नये शेड्यूल रेट को अपने कार्यक्षेत्र हेतु अंगीकृत कर लागू नहीं किया गया एवं वर्ष 2017 के ही उक्त कार्यालय ज्ञाप सं0–3862 दिनांक 23.09.2017 (प0पृ0सं0–09) द्वारा निर्गत पुराने शेड्यूल रेट को ही जानपदीय कार्यो के प्राक्कलन इत्यादि कार्यो हेतु प्रभावी रखा गया एवं उनके अधीनस्थ कार्यक्षत्र में कराये गये समस्त जानपदीय कार्यो का प्राक्कलन वर्ष 2017 में निर्गत शेड्यूल ऑफ रेट के आधार पर ही तैयार कराया जाता रहा।
4. पुनः वर्ष 2021 में अधीक्षण अभियन्ता विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज के कार्यालय ज्ञाप सं0–1696 दिनांक 23.09.2021 (प0पृ0सं0–07) द्वारा उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के जानपदीय कार्यो के प्राक्कलन हेतु संशोधित शेड्यूल ऑफ रैट जारी किया गया जो कि दिनांक 23.09.2021 को प्रभावी हुआ। इसी प्रकार अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, गोरखपुर द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के जानपदीय कार्यो के प्राक्कलन हेतु संशोधित शेड्यूल ऑफ रैट कार्यालय ज्ञाप सं0–1020 दिनांक 24.09.2021 (प0पृ0सं0–08) द्वारा लागू किया जो कि दिनांक 25.09.2021 से प्रभावी हुआ।
5. तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल (वितरण) वाराणसी द्वारा उनके अधीनस्थ विद्युत जानपद खण्ड (वितरण) गोरखपुर के अंतर्गत आने वाले जिलो में कराये जा रहे जानपदीय कार्यो के प्राक्कलन हेतु

वरिष्ठ लेखाधिकारी (जाँच समिति) मुख्य अभियन्ता (जाँच समिति) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमि0

कार्यालय मुख्य अभियंता 'जाँच समिति'
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
एस०एल०डी०सी० परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड
गोमती नगर लखनऊ–226010
CIN: U32201UP1999SGC024928, Email- ceenquiry.uppcl@gmail.com

अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, गोरखपुर के कार्यालय ज्ञाप सं0–1020 दिनांक 24.09.2021 (प0पृ0सं0–08) द्वारा जारी शेड्यूल ऑफ रेट को अपने कार्यालय ज्ञाप सं0–2604 दिनांक 11.11.2021 (प0पृ0सं0–10) द्वारा पूर्णतः अंगिकृत किया गया, जिसको दिनांक 12.11.2021 से प्रभावी किया गया। इसी प्रकार विद्युत जानपद खण्ड (वितरण), प्रयागराज के अंतर्गत आने वाले जिलों में कराये जा रहे जानपदीय कार्यो के प्राक्कलन हेतु अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज के कार्यालय ज्ञाप सं0–1696 दिनांक 23.09.2021 (प0पृ0सं0–07) द्वारा जारी शेड्यूल ऑफ रेट को अंगिकृत करने हेतु अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल (वितरण), वाराणसी द्वारा कार्यालय ज्ञाप सं0–2605 दिनांक 11.11.2021 (प0पृ0सं0–11) निर्गत किया गया।

इस प्रकार अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल (वि0), वाराणसी द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के जानपदीय कार्यो के प्राक्कलन हेतु विद्युत जानपद पारेषण मण्डल द्वारा जारी शेड्यूल ऑफ रेट को पूर्णतः अंगिकृत कर तत्काल प्रभावित किया

6. उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्यालय विद्युत जानपद मण्डल (वि0), वाराणसी के अंतर्गत विभिन्न जानपदीय कार्यो के प्राक्कलन बनाने हेतु वर्ष 2017 में निर्गत शेड्यूल ऑफ रेट को माह नवम्बर 2021 में संशोधित किया गया तथा इस बीच में माह जुलाई 2020 में पारेषण इकाई द्वारा निर्गत शेड्यूल ऑफ रेट को जानपद वितरण मण्डल द्वारा लागू नहीं किया गया।
7. आरोपित सेवक द्वारा अपने अभिकथन में एक कथित पत्रकार श्री चन्द्रशेखर सिंह द्वारा प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 को की गयी शिकायत के सापेक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो कि पूर्णतः अप्रासंगिक है क्योंकि अभियोजित आरोप में उक्त शिकायत को आधार अथवा साक्ष्य नहीं बनाया गया है। अग्रेतर आरोपित सेवक द्वारा अपने अभिकथन में वर्ष 2017 एवं 2020 की मुद्रास्फीति का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है, किन्तु उनके द्वारा जाँच समिति को अभियोजित आरोप के सापेक्ष कोई भी ऐसा तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्थापित किया जा सके कि उनके द्वारा कृत अनियमितता के कारण कॉरपोरेशन को वित्तीय क्षति हुयी है अथवा नहीं।

जाँच समिति की विवेचना निम्नानुसार है–

1. कार्यालय विद्युत जानपद मण्डल, (वितरण/पारेषण) द्वारा निर्गत शेड्यूल ऑफ रेट विभिन्न जानपदीय कार्यो के प्राक्कलन बनाने हेतु एवं विभिन्न कार्य योजनाएं बनाये जाने हेतु अनुमानित लागत की गणना हेतु उपयोग में लाया जाता है। विभिन्न निविदाओं में प्रतिभाग करने वाले निविदादाताओं द्वारा अपनी दरें विभागीय शेड्यूल ऑफ रेट में वर्णित दरों के सापेक्ष QUOTE की जाती है, जो कि विभागीय शेड्यूल ऑफ रेट में वर्णित दरों के सापेक्ष, कम या अधिक हो सकती है।
2. किसी खुली निविदा का निस्तारण करने हेतु निविदा में, प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करने के पश्चात् न्यूनतम निविदाकार द्वारा निविदित दरों का मुल्यांकन कर, संबंधित अधिशासी/अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दरों की संस्तुति कर निविदा स्वीकृति हेतु सक्षम क्रय/कार्य समिति को प्रस्तुत की जाती है एवं सक्षम समिति द्वारा उस पर निर्णय लिया जाता है। न्यूनतम निविदादाता द्वारा निविदित दरें विभागीय शेड्यूल ऑफ रेट में वर्णित दरों के सापेक्ष अधिक होने पर न्यूनतम निविदादाता से विभागीय शेड्यूल ऑफ रेट में वर्णित दरों पर कार्य करने हेतु निगोशियेशन किया जाता है। निगोशियेशन सफल होने पर न्यूनतम निविदादाता द्वारा विभागीय शेड्यूल ऑफ रेट में वर्णित दरों पर कार्य करने में सहमति व्यक्त की जाती है। अन्यथा की स्थिति में उक्त तथ्यों को सक्षम

वरिष्ठ लेखाधिकारी (जाँच समिति)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमि0

मुख्य अभियन्ता (जाँच समिति)
उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लिमि0

कार्यालय मुख्य अभियंता जाँच समिति

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड

एस0एल0डी0सी0 परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड

गोमती नगर लखनऊ–226010

CIN: U32201UP1999SGC024928, Email- ceenquiry.uppcl@gmail.com

क्रय/कार्य समिति को भेजे जाने वाले प्रस्ताव में सम्मिलित किया जाता है एवं सक्षम समिति द्वारा सभी तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए निर्णय लिया जाता है।

3. जाँच समिति के मौखिक अनुरोध किये जाने पर, अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज द्वारा माह सितम्बर 2017 एवं माह जुलाई 2020 में निर्गत शेड्यूल ऑफ रेट की प्रति ई–मेल के माध्यम से जाँच समिति को प्रेषित की (प0पृ0सं0–49 से 87)। उक्त शेड्यूल ऑफ रेट के तुलनात्मक अध्ययन से दर्शित होता है कि जुलाई 2020 में निर्गत शेड्यूल ऑफ रेट में माह सितम्बर 2017 की अपेक्षा कुछ आइटम के दरों में वृद्धि हुई है, कुछ आइटम के दरों में कमी हुई है एवं कुछ दरे यथावत रखी गयी है तथा अभिलेखीय साक्ष्यों के अभाव में यह स्थापित किया जाना संभव नहीं है कि वर्ष 2020 में कार्यालय विद्युत जानपद मण्डल (वितरण) वाराणसी द्वारा पारेषण इकाई द्वारा निर्गत शेड्यूल ऑफ रेट को अंगीकृत/लागू न किये जाने के कारण, माह जुलाई 2020 एवं माह नवम्बर 2021 के मध्य कार्यालय विद्युत जानपद मण्डल (वितरण) द्वारा निर्णित निविदाओं में कॉरपोरेशन को वित्तीय हानि हुई है अथवा नहीं।

अतः आरोपित सेवक माह जुलाई 2020 में कार्यालय विद्युत जानपद पारेषण मण्डल के अनुरूप कार्यालय विद्युत जानपद मण्डल (वि0), वाराणसी में संशोधित शेड्यूल ऑफ रेट निर्गत कर लागू न करने के दोषी पाये गये है, किन्तु आरोपित सेवक के उक्त कृत्य से कॉरपोरेशन को वित्तीय हानि होने के तथ्य की पुष्टि न होने के दृष्टिगत आरोपित सेवक पर लगाया गया आरोप आंशिक रूप से सिद्ध होता है।

निष्कर्ष :–कॉरपोरेशन से प्राप्त पत्रावली, आरोपित सेवक पर लगाये गये आरोप की गहन विवेचना के उपरान्त जाँच समिति सर्वसम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि आरोपित सेवक श्री कृष्ण मोहन राव (8637), तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल (वितरण), पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी सम्प्रति सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता के विरूद्ध लगाया गया एक मात्र आरोप संख्या–01 आंशिक रूप से सिद्ध होता है।

05/08/2022
(गौरव अग्रवाल)
वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं सदस्य
जाँच समिति

05/08/2022
(अरूण कुमार रावल)
मुख्य अभियन्ता एवं संयोजक
जाँच समिति

खलनक-03

कार्यालय मुख्य अभियंता 'जाँच समिति'

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
एस0एल0डी0सी0 परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड
गोमती नगर लखनऊ–226010
CIN: U32201UP1999SGC024928, Email- ceenquiry.uppcl@gmail.com

पत्रांक: 1247 / सं0–234 / जाँ0स0 / (05 / 22) दिनांक : 06-08-2022

विषयः श्री संजय कुमार जैन (8626), तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, विद्युत जानपद क्षेत्र (वितरण), पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी, सम्प्रति सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के मामले में 'जाँच समिति' की जाँच आख्या।

निदेशक (का0 प्र0 एवं प्रशा0)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
14–अशोक मार्ग शक्ति भवन,
लखनऊ।

जाँच समिति लखनऊ उ0प्र0पा0का0लि0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कॉरपोरेशन के पत्रांक 1753–शि0जाँ0–05(एफ) / पाकालि / 22–7(18)05एफ / 2022 दिनांक 28.05.2022 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा उक्त प्रकरण अनुशासनिक कार्यवाही के सन्दर्भ में 'जाँच समिति' को सौंपा गया था।

उक्त सन्दर्भ में श्री संजय कुमार जैन (8626), तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, विद्युत जानपद क्षेत्र (वितरण), पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी, सम्प्रति सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के मामले में 'जाँच समिति' की यथा निर्देशित आख्या सम्बन्धित पत्रावली के साथ जिसमें आरोप पत्र की प्रति, पावती, 'जाँच समिति' की कार्यवाही एवं अन्य पत्र व्यवहार हैं (सभी सील्ड लिफाफे में), कॉरपोरेशन के अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः यथोपरोक्त।

1. जाँच आख्या (पृष्ठ–01 से 05)
2. केस सं0–234 / जाँ0स0 / (05 / 22)
   केस पत्रावली (पृ0सं0–01 से 28)

भवदीय

(अरूण कुमार रावल)
मुख्य अभियन्ता (जाँ0स0)

मुख्य अभियन्ता (जाँच समिति)
उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लि0

कार्यालय मुख्य अभियंता 'जाँच समिति'
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
एस0एल0डी0सी0 परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड
गोमती नगर लखनऊ–226010
CIN: U32201UP1999SGC024928, Email- ceenquiry.uppcl@gmail.com

विषय– उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्रांक 1753–शि0जाँ0–05(एफ)/पाकालि/22–7(18)05एफ/2022 दिनांक 28.05.2022 द्वारा सन्दर्भित प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त श्री संजय कुमार जैन (8626), तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, विद्युत जानपद क्षेत्र (वितरण), पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी, सम्प्रति सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता के मामले में जाँचोपरान्त जाँच समिति की जाँच आख्या।

प्रस्तावना–

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्रांक 1753–शि0जाँ0–05(एफ)/पाकालि/22–7(18)05एफ/2022 दिनांक 28.05.2022 द्वारा सन्दर्भित प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त श्री संजय कुमार जैन (8626), तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, विद्युत जानपद क्षेत्र (वितरण), पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी, सम्प्रति सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का प्रकरण संस्थित करते हुए जाँच समिति को संदर्भित किया गया, जो जाँच समिति के कार्यालय में जाँच संख्या–234/जाँ0स0/(05/22)/पर संस्थित हुआ।

सन्दर्भित प्रकरण में उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली 2020 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जाँच कर आख्या पावर कारपोरेशन को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

कॉरपोरेशन से प्राप्त अभिलेखों के आधार पर, आरोप पत्र की संरचना की गई तथा आरोपित सेवक को निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, विद्युत नगर भिखारीपुर, पोस्ट–डी0एल0डब्ल्यू0, वाराणसी के माध्यम से पत्रांक–1011/मु0अ0जाँ0स0/पाकालि/2022/234–05/2022 दिनांक 20.06.2022 (प0पृ0सं0–01) द्वारा आरोप पत्र संख्या 1010/सं0–234/जाँ0स0/(05/22) दिनांक 20.06.2022 (प0पृ0स0–02 से 13) प्रेषित किया गया, जो आरोपित सेवक को दिनांक 30.06.2022 को प्राप्त हो गया (प0पृ0सं0–15)।

जाँच समिति के पत्रांक 1186/मु0अ0जाँ0स0/पाकालि/2022/234–05/2022 दिनांक 26.07.2022 द्वारा आरोपित सेवक को दिनांक 30.07.2022 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। आरोपित सेवक उक्त तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए एवं अपना बयान दर्ज कराया (प0पृ0सं0–21, 22 एवं 26 से 28)। आरोपित सेवक ने अपने पत्र दिनांक 25.07.2022 के द्वारा अपना लिखित अभिकथन जाँच समिति को प्रस्तुत किया जो जाँच समिति कार्यालय में डायरी सं0–1576 दिनांक 29.07.2022 पर अंकित हुआ (प0पृ0सं0–23 से 25)।

इस प्रकार आरोपित सेवक के ऊपर लगाये गये आरोप, लिखित अभिकथन, व्यक्तिगत सुनवाई में दिये गये बयान एवं अन्य संलग्न साक्ष्यों सहित पत्रावली का गहन अध्ययन कर जाँच समिति द्वारा अपनी विवेचना का समावेश कर जाँच आख्या तैयार की गयी, जो निम्नवत् है–

विवेचना आरोप सं0–1

अभियोजित आरोप– पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के अर्न्तगत विद्युत जानपद मण्डल (वितरण), वाराणसी द्वारा सिविल कार्यों के टेण्डर/अनुबन्ध में कार्यों की दरों हेतु उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0 की इकाई विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज/गोरखपुर के द्वारा जारी शेड्यूल दरों को वर्ष 2017 एवं 2021 में पूर्णतयः अंगीकृत करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया गया।

वर्ष 2017 में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज के कार्यालय ज्ञाप सं0–1602 दिनांक 01.09.2017 द्वारा जारी शेड्यूल ऑफ रेट को अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल, वाराणसी के

वरिष्ठ लेखाधिकारी (जाँच समिति) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमि0

मुख्य अभियन्ता (जाँच समिति) उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लिमि0

3

कार्यालय ज्ञाप सं0–3862 दिनांक 23.09.2017 द्वारा पूर्णतयः अंगीकृत किया गया एवं तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। परन्तु आपके द्वारा वर्ष 2020 में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज के कार्यालय ज्ञाप सं0–963 दिनांक 02.07.2020 द्वारा जारी नये शेड्यूल रेट को अपने कार्य क्षेत्र हेतु अंगीकृत कर लागू नहीं किया गया तथा वर्ष 2017 के ही पुराने शेड्यूल रेट को प्रभावी रखा गया। दिनांक 10.11.2021 को उक्त अनियमितता से सम्बन्धित खबरें दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुयी जिसका संज्ञान लेते हुए श्री अरविन्द कुमार सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता द्वारा वर्ष 2021 में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज के कार्यालय ज्ञाप सं0–1696 दिनांक 23.09.2021 एवं अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, गोरखपुर के कार्यालय ज्ञाप सं0–1020 दिनांक 24.09.2021 द्वारा जारी नये शेड्यूल रेट को कार्यालय ज्ञाप क्रमशः सं0–2605 दिनांक 11.11.2021 एवं सं0–2604 दिनांक 11.11.2021 द्वारा संबंधित क्षेत्रों हेतु अंगीकृत किया गया।

इस प्रकार जुलाई 2020 से लेकर नवम्बर 2021 तक विद्युत जानपद मण्डल (वितरण), वाराणसी द्वारा पुराने शेड्यूल रेट पर ही कार्य कराया गया। वर्ष 2017 के शेड्यूल ऑफ रेट में सिविल कार्यों हेतु निर्धारित दरें काफी ज्यादा थी जबकि वर्ष 2020 की शेड्यूल ऑफ रेट की दरें वर्ष 2017 की तुलना में कम थीं। नियमानुसार कॉरपोरेशन कार्यहित में आप द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में पारेषण यूनिटों द्वारा वर्ष 2020 में निर्धारित शेड्यूल ऑफ रेट को लागू करना/कराना चाहिए था, जो कि आपके द्वारा नहीं किया गया।

आप द्वारा अपने पद एवं अधिकार का दुरूपयोग करके माह जुलाई 2020 से नवम्बर 2021 तक लगभग 16 माह तक अपने अधीनस्थों के माध्यम से बढ़ी हुयी दरों पर निविदाएं आमंत्रित कर अनुबन्ध किये गये एवं तद्नुसार में ठेकेदारों को अनैतिक लाभ पहुँचाकर कॉरपोरेशन को वित्तीय हानि पहुँचायी गयी।

अतः माह जुलाई 2020 में नया रेट शेड्यूल लागू न करने, लगभग 16 माह तक नियम विरूद्ध तरीके से पुरानी बढ़ी हुयी दरों पर अपने अधीनस्थों के माध्यम से निविदाएँ आमंत्रित कर अनुबन्ध करने, स्वहित में फर्मों/ठेकेदारों को अधिक भुगतान करके कॉरपोरेशन को वित्तीय हानि पहुँचाने, अधीनस्थों पर समुचित नियंत्रण न रखने, अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने तथा उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 का उल्लंघन करने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाते हुए आपको आरोपित किया जाता है।

अभियोजित आरोप में आरोपित सेवक का कथन है कि कृपया शेडयूल ऑफ रेट अंगीकृत/जारी करने से संदर्भित कार्यालय ज्ञाप संख्या–1602 दिनांक 01.09.2017 कार्यालय ज्ञाप संख्या–3862 दिनांक 23.09.2017 कार्यालय ज्ञाप संख्या–963 दिनांक 02.07.2020, कार्यालय ज्ञाप संख्या–1696 दिनांक 23.09.2021, कार्यालय ज्ञाप संख्या–1020 दिनांक 24.09.2021, कार्यालय ज्ञाप संख्या–2605 दिनांक 11.11.2021, कार्यालय ज्ञाप संख्या–2604 दिनांक–11.11. 2021 सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा जारी एवं अंगीकृत किये गये है। विभाग में शेडयूल ऑफ रेट जारी/अंगीकृत करने की बारम्बारता के सम्बन्ध में स्पष्ट दिशा–निर्देश उपलब्ध न होने के कारण प्रचलित प्रथा के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर खण्डीय अधिकारियों द्वारा शेड्यूल ऑफ रेट में संशोधन, पुनिरिक्षण करने की संस्तुति अधीक्षण अभियन्ता को उपलब्ध करायी जाती है। तथा अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अधीक्षण अभियन्ता पद में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संस्तुति को स्वीकृत कर शेडयूल ऑफ रेट पुनिरिक्षित/अंगीकृत करने के आदेश जारी किये जाते है। इस प्रक्रिया में मुख्य अभियन्ता की कोई भी भूमिका न तो विभाग द्वारा निर्दिष्ट की गयी है और न ही अधीक्षण अभियन्ता द्वारा इस आशय की कोई भी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता से प्राप्त की जाती है।

वरिष्ठ लेखाधिकारी (जाँच समिति) | मुख्य अभियन्ता (जाँच समिति)

कार्यालय मुख्य अभियंता जाँच समिति
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
एस०एल०डी०सी० परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड
गोमती नगर लखनऊ–226010
CIN: U32201UP1999SGC024928, Email- ceenquiry.uppcl@gmail.com

अधीक्षण अभियन्ता द्वारा जारी संदर्भित सभी कार्यालय ज्ञापों में स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि शेडयूल ऑफ रेट मात्रा दर सूची, प्राकक्लन बनाने तथा निविदाओं में प्राप्त दरों के औचित्य निर्धारण हेतु ही मार्ग–दर्शन प्रदान करता है। जानपदीय कार्य कराये जाने हेतु कार्य आदेश अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता द्वारा निर्गत किये जाते है। शेडयूल ऑफ रेट पर सीधे कोई भी कार्य आदेश निर्गत नहीं किया जाता है।

विभाग में कार्य खुली निविदा के आधार पर प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करने के पश्चात न्यूनतम निविदाकार द्वारा निविदित दरों का बाजार भाव, मुद्रा स्फूर्ति, निविदा के गुण दोष इत्यादि के सापेक्ष निविदा का मूल्यांकन कर अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दरों को संस्तुत करते हुए निविदा स्वीकृति हेतु सक्षम निविदा क्रय/कार्य समिति को प्रस्तुत की जाती है, जिस पर विभाग द्वारा गठित सक्षम क्रय/कार्य निविदा समिति द्वारा (जिसमें तकनीकी एवं लेखा स्कन्ध के नामित वरिष्ठ, अधिकारी सदस्य होते हैं), प्रस्तुत निविदा संस्तुति रिपोर्ट के सभी तकनीकी एवं वित्तीय पहलुओं पर विचार करते हुए निविदा पर सामूहिक निर्णय लिया जाता है, न कि किसी भी व्यक्ति विशेष द्वारा व्यक्तिगत रूप से।

अतः उपरोक्त के आलोक में अधोहस्ताक्षरी पर लगाया गया आरोप कि "अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने पद एवं अधिकार का दुरूपयोग करके माह जुलाई 2020 से नवम्बर 2021 तक लगभग 16 महीने तक अपने अधीनस्थों के माध्यम से बढ़ी हुई दरों पर निविदाये आमंत्रित कर अनुबन्ध किये गये एवं तदानुसार में ठेकेदार को अनैतिक लाभ पहुचाकर कारपोरेशन को वित्तीय हानि पहुँचायी" तर्क संगत नहीं है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा मुख्य अभियन्ता (जानपद), वाराणसी के पद पर तैनाती के दौरान अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वाहन पूर्ण निष्ठा से किया गया है तथा किसी भी फर्म/ठेकेदार को अधिक भुगतान करके कारपोरेशन को कोई भी वित्तीय हानि नहीं पहुँचायी गयी और न ही उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 का उल्लंघन किया गया है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अधोहस्ताक्षरी पर लगाये आरोप को निक्षेपित करने की कृपा करें।

<u>जाँच समिति का मत है कि पत्रावली में अवस्थित अभिलेखों से निम्नांकित तथ्य दर्शित होते है–</u>

1. वर्ष 2017 में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज के कार्यालय ज्ञाप सं0–1602 दिनांक 01.09.2017 (प0पृ0सं0–05) द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत, जानपदीय कार्यो के प्राक्कलन एवं अन्य योजनाओं के जानपदीय कार्यो के लिए अनुमानित लागत की गणना हेतु, जारी शेड्यूल ऑफ रेट को आरोपित सेवक, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल, वाराणसी के कार्यालय ज्ञाप सं0–3862 दिनांक 23.09.2017 (प0पृ0सं0–09) द्वारा पूर्णतः अंगीकृत किया गया एवं तत्काल प्रभाव से लागू किया गया।
2. वर्ष 2020 में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज द्वारा पूर्व में उनके कार्यालय द्वारा दिनांक 01.09.2017 को निर्गत शेड्यूल ऑफ रेट को पुनरिक्षित करने हेतु, वर्तमान बजार के दरों के आधार पर, अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत, जानपदीय कार्यो के प्राक्कलन एवं अन्य योजनाओं के जानपदीय कार्यो के लिए अनुमानित लागत की गणना हेतु, संशोधित शेड्यूल ऑफ रेट अपने कार्यालय ज्ञाप सं0–963 दिनांक 02.07.2020 (प0पृ0सं0–06) द्वारा जारी किया जो कि दिनांक 10.07.2020 से प्रभावी हुआ।

वरिष्ठ लेखाधिकारी (जाँच समिति)
उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लिमि0

मुख्य अभियन्ता (जाँच समिति)
उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लिमि0

कार्यालय मुख्य अभियंता जाँच समिति
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
एस0एल0डी0सी0 परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड
गोमती नगर लखनऊ-226010
CIN: U32201UP1999SGC024928, Email- ceenquiry.uppcl@gmail.com

3. तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल (वितरण), वाराणसी द्वारा वर्ष 2020 में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज के कार्यालय ज्ञाप सं0-963 दिनांक 02.07.2020 (प0पृ0सं0-06) द्वारा जानपदीय कार्यों हेतु जारी नये शेड्यूल रेट को अपने कार्यक्षेत्र हेतु अंगीकृत कर लागू नहीं किया गया एवं वर्ष 2017 के ही उक्त कार्यालय ज्ञाप सं0-3862 दिनांक 23.09.2017 (प0पृ0सं0-09) द्वारा निर्गत पुराने शेड्यूल रेट को ही जानपदीय कार्यों के प्राक्कलन इत्यादि कार्यों हेतु प्रभावी रखा गया एवं उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र में कराये गये समस्त जानपदीय कार्यों का प्राक्कलन वर्ष 2017 में निर्गत शेड्यूल ऑफ रेट के आधार पर ही तैयार कराया जाता रहा।
4. पुनः वर्ष 2021 में अधीक्षण अभियन्ता विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज के कार्यालय ज्ञाप सं0-1696 दिनांक 23.09.2021 (प0पृ0सं0-07) द्वारा उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के जानपदीय कार्यों के प्राक्कलन हेतु संशोधित शेड्यूल ऑफ रेट जारी किया गया जो कि दिनांक 23.09.2021 को प्रभावी हुआ। इसी प्रकार अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, गोरखपुर द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के जानपदीय कार्यों के प्राक्कलन हेतु संशोधित शेड्यूल ऑफ रेट कार्यालय ज्ञाप सं0-1020 दिनांक 24.09.2021 (प0पृ0सं0-08) द्वारा लागू किया जो कि दिनांक 25.09.2021 से प्रभावी हुआ।
5. तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल (वितरण) वाराणसी द्वारा उनके अधीनस्थ विद्युत जानपद खण्ड (वितरण) गोरखपुर के अंतर्गत आने वाले जिलो में कराये जा रहे जानपदीय कार्यों के प्राक्कलन हेतु अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, गोरखपुर के कार्यालय ज्ञाप सं0-1020 दिनांक 24.09.2021 (प0पृ0सं0-08) द्वारा जारी शेड्यूल ऑफ रेट को अपने कार्यालय ज्ञाप सं0-2604 दिनांक 11.11.2021 (प0पृ0सं0-10) द्वारा पूर्णतः अंगिकृत किया गया, जिसको दिनांक 12.11.2021 से प्रभावी किया गया। इसी प्रकार विद्युत जानपद खण्ड (वितरण), प्रयागराज के अंतर्गत आने वाले जिलों में कराये जा रहे जानपदीय कार्यों के प्राक्कलन हेतु अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज के कार्यालय ज्ञाप सं0-1696 दिनांक 23.09.2021 (प0पृ0सं0-07) द्वारा जारी शेड्यूल ऑफ रेट को अंगिकृत करने हेतु अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल (वितरण), वाराणसी द्वारा कार्यालय ज्ञाप सं0-2605 दिनांक 11.11.2021 (प0पृ0सं0-11) निर्गत किया गया।

इस प्रकार अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल (वि0), वाराणसी द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के जानपदीय कार्यों के प्राक्कलन हेतु विद्युत जानपद पारेषण मण्डल द्वारा जारी शेड्यूल ऑफ रेट को पूर्णतः अंगिकृत कर तत्काल प्रभावित किया

6. उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्यालय विद्युत जानपद मण्डल (वि0), वाराणसी के अंतर्गत विभिन्न जानपदीय कार्यों के प्राक्कलन बनाने हेतु माह सितम्बर 2017 में निर्गत शेड्यूल ऑफ रेट को माह नवम्बर 2021 में संशोधित किया गया तथा इस बीच में माह जुलाई 2020 में पारेषण इकाई द्वारा निर्गत शेड्यूल ऑफ रेट को जानपद वितरण मण्डल द्वारा लागू नहीं किया गया।

जाँच समिति का मत है कि पत्रावली पृष्ठ सं0-09 से 11 पर अवस्थित अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन द्वारा निर्गत/जारी शेड्यूल ऑफ रेट का अंगीकृत करने का निर्णय एवं उक्त के सापेक्ष कार्यालय ज्ञाप निर्गत करने का कार्य अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल (वितरण) के द्वारा ही किया जाता है तथा वर्ष 2020 में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज के कार्यालय ज्ञाप सं0-963 दिनांक 02.07.2020 द्वारा जारी नये शेड्यूल ऑफ रेट को अपने कार्यक्षेत्र हेतु अंगीकृत

वरिष्ठ लेखाधिकारी (जाँच समिति)

मुख्य अभियन्ता (जाँच समिति)

कार्यालय मुख्य अभियंता 'जाँच समिति'
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
एस0एल0डी0सी0 परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड
गोमती नगर लखनऊ–226010
CIN: U32201UP1999SGC024928, Email- ceenquiry.uppcl@gmail.com

न करने हेतु मुख्य रूप से अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल (वितरण) उत्तरदायी है, किन्तु मुख्य अभियन्ता के पद पर तैनात आरोपित सेवक का भी दायित्व था कि वह अपने अधीनस्थों के कार्यों का उचित पर्यवेक्षण करते तथा अधीक्षण अभियन्ता को निर्देशित करते कि वह विद्युत जानपद पारेषण मण्डल द्वारा निर्गत नवीन शेड्यूल ऑफ रेट को अपने कार्यक्षेत्र हेतु अंगीकृत करें, जो कि आरोपित सेवक द्वारा नहीं किया गया।

अतः अपने पर्यवेक्षणीय दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता बरतने हेतु आरोपित सेवक पर लगाया गया आरोप आंशिक रूप से सिद्ध होता है।

निष्कर्ष :–कॉरपोरेशन से प्राप्त पत्रावली, आरोपित सेवक पर लगाये गये आरोप की गहन विवेचना के उपरान्त जाँच समिति सर्वसम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि आरोपित श्री संजय कुमार जैन (8626), तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, विद्युत जानपद क्षेत्र (वितरण), पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी, सम्प्रति सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता के विरूद्ध लगाया गया एक मात्र आरोप सं0–01 आंशिक रूप से सिद्ध होता है।

05/08/2022	05/08/2022
(गौरव अग्रवाल)	(अरूण कुमार रावल)
वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं सदस्य	मुख्य अभियन्ता एवं संयोजक
जाँच समिति	जाँच समिति
वरिष्ठ लेखाधिकारी (जाँच समिति) उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लिमि0	मुख्य अभियन्ता (जाँच समिति) उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लिमि0

जाँच समिति, उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन

संलग्नक-04

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ-226001.
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या-4556-शि0जॉ0-05(एफ)/पाकालि/2022-7(18)05एफ/2022 दिनांक: 26.11.2022

आदेश

श्री कृष्ण मोहन राव (8637) की अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल (वितरण), पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी, के पद पर तैनाती अवधि में माह जुलाई 2020 में नया रेट शेड्यूल लागू न करने, लगभग 16 माह तक नियम विरूद्ध तरीके से पुरानी बढ़ी हुयी दरों पर निविदाएं आमंत्रित कर अनुबन्ध करने, स्वहित में फर्मों ठेकेदारों को अधिक भुगतान करके कारपोरेशन को वित्तीय हानि पहुँचाने, अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने एवं उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 का उल्लंघन करने के प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर कारपोरेशन पत्रांक-1753-शि0जॉ0-05(एफ)/पाकालि/22-7(18)05एफ/2022 दिनांक 28.05.2022 द्वारा प्रकरण में जाँच/अनुशासनिक कार्यवाही हेतु मुख्य अभियन्ता (जाँच समिति), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ को सन्दर्भित किया गया।

सन्दर्भित प्रकरण में उ0प्र0पा0का0लि0 कार्मिक(अनुशासन एवं अपील) विनियमावली, 2020 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जाँच कर जाँच आख्या कारपोरेशन(मु0) को उपलब्ध कराने की जाँच समिति, उ0प्र0पा0का0लि0 से अपेक्षा की गई।

जाँच समिति के पत्रांक-1013/मु0अ0जाँ0स0/पाकालि/2022/234-05/2022 दिनांक 20.06.2022 द्वारा निर्गत आरोप पत्र संख्या 1009/सं0-234/जाँ0स0/(05/22) दिनांक 20.06.2022 श्री राव को प्राप्त हो गया। श्री राव ने अपने पत्र दिनांक 04.07.2022 द्वारा लिखित अभिकथन जाँच समिति को प्रस्तुत किया। जाँच समिति के पत्रांक-1185/मु0अ0जाँ0स0/पाकालि/2022/234-05/2022 दिनांक 26.07.2022 द्वारा श्री राव को दिनांक 30.07.2022 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। श्री राव उक्त तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए एवं अपना बयान दर्ज कराया। श्री राव ने अपने पत्र दिनांक 05.08.2022 द्वारा कुछ अतिरिक्त अभिलेख/साक्ष्य जाँच समिति को उपलब्ध कराये, जो जाँच समिति कार्यालय में डायरी सं0-1618 दिनांक 05.08.2022 पर अंकित किये गये।

जाँच समिति ने पत्रांक-1248/सं०-234/जाँ०सं०/(05/22), दिनांक 06.08.2022 द्वारा जाँच आख्या कारपोरेशन मुख्यालय को उपलब्ध करायी। जाँच समिति द्वारा श्री राव को मात्र 01 आरोप से आरोपित किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

आरोप सं0-1

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के अन्तर्गत विद्युत जानपद मण्डल (वितरण), वाराणसी द्वारा सिविल कार्यों के टेण्डर/अनुबन्ध में कार्यों की दरों हेतु उ0प्र0पा0ट्रॉ0का0लि0 की इकाई विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज/गोरखपुर के द्वारा जारी शेड्यूल दरों को वर्ष 2017 एवं 2021 में पूर्णतयः अंगीकृत करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया गया।

वर्ष 2017 में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज के कार्यालय ज्ञाप सं0–1602 दिनांक 01.09.2017 द्वारा जारी शेड्यूल ऑफ रेट को अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल, वाराणसी के कार्यालय ज्ञाप सं0–3862 दिनांक 23.09.2017 द्वारा पूर्णतयः अंगीकृत किया गया एवं तत्काल प्रभाव से लागू किया गया परन्तु श्री राव द्वारा वर्ष 2020 में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज के कार्यालय ज्ञाप सं0–963 दिनांक 02.07.2020 द्वारा जारी नये शेड्यूल रेट को अपने कार्य क्षेत्र हेतु अंगीकृत कर लागू नहीं किया गया तथा वर्ष 2017 के ही पुराने शेड्यूल रेट को प्रभावी रखा गया। दिनांक 10.11.2021 को उक्त अनियमितता से सम्बन्धित खबरें दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुयी जिसका संज्ञान लेते हुए श्री अरविन्द कुमार सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता द्वारा वर्ष 2021 में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज के कार्यालय ज्ञाप सं0–1696 दिनांक 23.09.2021 एवं अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, गोरखपुर के कार्यालय ज्ञाप सं0–1020 दिनांक 24.09.2021 द्वारा जारी नये शेड्यूल रेट को कार्यालय ज्ञाप क्रमशः सं0–2605 दिनांक 11.11.2021 एवं सं0–2604 दिनांक 11.11.2021 द्वारा संबंधित क्षेत्रों हेतु अंगीकृत किया गया।

इस प्रकार जुलाई 2020 से लेकर नवम्बर 2021 तक विद्युत जानपद मण्डल (वितरण), वाराणसी द्वारा पुराने शेड्यूल रेट पर ही कार्य कराया गया। वर्ष 2017 के शेड्यूल ऑफ रेट में सिविल कार्यों हेतु निर्धारित दरें काफी ज्यादा थी जबकि वर्ष 2020 की शेड्यूल ऑफ रेट की दरें वर्ष 2017 की तुलना में कम थीं। नियमानुसार कॉरपोरेशन कार्यहित में श्री राव द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में पारेषण यूनिटों द्वारा वर्ष 2020 में निर्धारित शेड्यूल ऑफ रेट को लागू करना चाहिए था जो कि श्री राव द्वारा नहीं किया गया।

श्री राव द्वारा अपने पद एवं अधिकार का दुरूपयोग करके माह जुलाई 2020 से नवम्बर 2021 तक लगभग 16 माह तक बढ़ी हुयी दरों पर निविदाएं आमंत्रित कर अनुबन्ध किये गये एंव तदनुसार ठेकेदारों को अनैतिक लाभ पहुँचाकर कॉरपोरेशन को वित्तीय हानि पहुँचायी गयी।

अतः माह जुलाई 2020 में नया रेट शेड्यूल लागू न करने, लगभग 16 माह तक नियम विरुद्ध तरीके से पुरानी बढ़ी हुयी दरों पर निविदाऐं आमंत्रित कर अनुबन्ध करने, स्वहित में फर्मों/ठेकेदारों को अधिक भुगतान करके कॉरपोरेशन को वित्तीय हानि पहुँचाने, अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने तथा उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 का उल्लंघन करने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाते हुए श्री राव को आरोपित किया जाता है।

अभिकथन :–

श्री राव की सेवानिवृत्ति तिथि से पूर्व एक कथित पत्रकार श्री चन्द्रशेखर सिंह ने दिनांक 28.10.2021 को प्रबन्ध निदेशक पूर्वान्चल डिस्कॉम को सम्बोधित सिविल कार्यों के शेड्यूल रेट में गम्भीर अनियमितता की शिकायत की गयी थी जिसमें उनके नाम का कहीं भी उल्लेख नहीं है। आरोप पत्र से यह स्पष्ट है कि उनके ऊपर लगाये गये आरोप का आधार, शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये आरोप, समाचार पत्रों की कटिंग की छाया प्रतियों में प्रकाशित समाचार तथा शेड्यूल दरो के लागू करने सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप है। आरोप पत्र निर्गत करने से पूर्व शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये आरोप की सत्यता एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार की सत्यता की जांच कर पुष्टि नहीं की गयी। समाचार किस स्तर के समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है इसका भी कही उल्लेख नहीं है। प्रकाशित समाचार में केवल मुख्य अभियन्ता (जानपद) के नाम का उल्लेख है, उनके नाम का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। कृत शिकायत एवं समाचार प्रकाशन से ऐसा प्रतीत होता कि पूर्ण प्रकरण प्रायोजित है एवं जाँच समिति ने यह मान लिया है शेड्यूल रेट के जारी कार्यालय ज्ञाप के आधार पर सीधे ठेकेदारो को भुगतान कर दिया गया है, जबकि विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज एवं गोरखपुर द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप में स्पष्ट लिखा है कि शेड्यूल ऑफ रेट मण्डल के अन्तर्गत

कराये जा रहे जानपदीय कार्यों के प्राक्कलन एवं कार्य योजनायें बनाये जाने एवं अनुमानित लागत की गणना हेतु उपयोग में लाया जायेगा। जानपदीय कार्यों का सम्पादन खुली निविदाओं के द्वारा प्राप्त प्रतिस्पर्धात्मक दरो पर ही कराया जायेगा। कार्यालय ज्ञाप को पूर्वान्चल डिस्कॉम को पृष्ठांकित भी नहीं किया गया है।

श्री राव का कथन है कि वर्ष 2017 के शेड्यूल ऑफ रेट में सिविल कार्यों हेतु निर्धारित दरें कॉफी ज्यादा थी एवं वर्ष 2020 के शेड्यूल ऑफ रेट की दरें वर्ष 2017 की तुलना में कम थी जबकि 2017 में जारी शेड्यूल ऑफ रेट के कार्यालय ज्ञाप सं0 1602 दिनांक 01.09.2017 तथा वर्ष 2020 में जारी शेड्यूल ऑफ रेट के कार्यालय ज्ञाप सं0 963 दिनांक 02.07.2020 में दरो की कमी के विषय में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। जॉच समिति ने अपने इस आरोप की पुष्टि हेतु कोई साक्ष्य भी संलग्न नहीं किया है।

श्री राव का कथन है कि शिकायतों पर किसी भी कार्यवाही से पूर्व शासनादेश सं0 13/1/97-का-1/2012 दिनांक 01 अप्रैल 2012 एवं प्रबन्ध निदेशक के पत्र सं0 30-ज0श0 एवं प्र0सु0-01/पाकालि/2020-14-ज0स0/96(टी0सी0) दिनांक 09.01.2020 में निर्गत्त निर्देशों के बिन्दु 2 मे स्पष्ट है कि "अन्य स्रोतो/व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतो के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता से इस बारे में एक शपथ पत्र उपलब्ध कराने तथा शिकायतों की पुष्टि हेतु समुचित साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा जाये।" यदि जांच समिति द्वारा उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में कार्यवाही की गयी है तो शिकायतकर्ता से विभाग को करोड़ों की वित्तीय क्षति के सम्बन्ध में आरोप की पुष्टि हेतु आवश्यक उपलब्ध साक्ष्य के विषय में अवगत कराया जाये।

शिकायतकर्ता ने अपने शिकायत का आधार विभागीय अनुसूची दर के एक आइटम बालू की दरो में कमी को दर्शाते हुए करोड़ो के अधिक का भुगतान का आरोप लगाया है। श्री राव द्वारा निम्न बिन्दु प्रस्तुत किये गये है:-

1. निर्माण कार्यों की अनुसूची में हजारो आइटमों की दरे निर्धारित की जाती है। शिकायतकर्ता ने अपने शिकायत में मात्र एक आइटम बालू की दरो में कमी का उल्लेख किया है एवं अन्य आइटमों के विषय में मौन है। सत्यता यह है कि शिकायतकर्ता के शिकायती पत्र के संलग्नक में ही उल्लेख है कि 2017 की अनुसूची दरों से 2020 के अनुसूची दरों में सीमेन्ट, गिट्टी एवं ईटो की दरों में बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 2017 में मुद्रास्फीति की दर 3.33 प्रतिशत थी एवं 2020 में यह 6.62 प्रतिशत थी अर्थात महंगाई दरों में 3.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसका असर निर्माण सामग्री की दरो में भी हुआ है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2017 से वर्ष 2020 तक मजदूरी दरों में भी वृद्धि हुई है, जिसके विषय में शिकायतकर्ता मौन है।
2. विभागीय अनुसूची दरों पर कार्य सम्पादन का कोई भी भुगतान नहीं किया जाता है। विभागीय अनुसूची दरें मात्र मार्गदर्शन हेतु कार्यों के प्राक्कलन तैयार करने के लिए होती है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा लगाया गया आरोप कि अनुसूची के एक आइटम की दर में कमी से विभाग को करोड़ों की क्षति हुई है बिलकुल बेबुनियाद है। कार्य सम्पादन हेतु विभागीय प्राक्कलन पर ई-निविदोपरान्त सक्षम निविदा कार्य समिति द्वारा वर्तमान बाजार भाव के दृष्टिगत निविदा दरो पर निर्णय लेती है एवं कार्य सम्पादन के पश्चात निविदा समिति द्वारा निर्णीत दरो पर अनुबन्ध के बाद भुगतान किया जाता है।

<u>जॉच समिति का मत :-</u>

1. वर्ष 2017 में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज के कार्यालय ज्ञाप सं0-1602 दिनांक 01.09.2017 द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत, जानपदीय कार्यो के प्राक्कलन एवं अन्य योजनाओं के जानपदीय कार्यो के लिए अनुमानित लागत की गणना हेतु, जारी शेड्यूल ऑफ रेट को श्री राव, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत

जानपद मण्डल, वाराणसी के कार्यालय ज्ञाप सं0–3862 दिनांक 23.09.2017 द्वारा पूर्णतः अंगीकृत किया गया एवं तत्काल प्रभाव से लागू किया गया।

2. वर्ष 2020 में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज द्वारा पूर्व में उनके कार्यालय द्वारा दिनांक 01.09.2017 को निर्गत शेड्यूल ऑफ रेट को पुनरीक्षित करने हेतु, वर्तमान बाजार के दरों के आधार पर, अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत, जानपदीय कार्यों के प्राक्कलन एवं अन्य योजनाओं के जानपदीय कार्यों के लिए अनुमानित लागत की गणना हेतु, संशोधित शेड्यूल ऑफ रेट अपने कार्यालय ज्ञाप सं0–963 दिनांक 02.07.2020 द्वारा जारी किया जो कि दिनांक 10.07.2020 से प्रभावी हुआ।

3. श्री राव द्वारा वर्ष 2020 में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज के कार्यालय ज्ञाप सं0–963 दिनांक 02.07.2020 द्वारा जानपदीय कार्यों हेतु जारी नये शेड्यूल रेट को अपने कार्यक्षेत्र हेतु अंगीकृत कर लागू नहीं किया गया एवं वर्ष 2017 के ही उक्त कार्यालय ज्ञाप सं0–3862 दिनांक 23.09.2017 द्वारा निर्गत पुराने शेड्यूल रेट को ही जानपदीय कार्यों के प्राक्कलन इत्यादि कार्यों हेतु प्रभावी रखा गया एवं उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र में कराये गये समस्त जानपदीय कार्यों का प्राक्कलन वर्ष 2017 में निर्गत शेड्यूल ऑफ रेट के आधार पर ही तैयार कराया जाता रहा।

4. पुनः वर्ष 2021 में अधीक्षण अभियन्ता विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज के कार्यालय ज्ञाप सं0–1696 दिनांक 23.09.2021 द्वारा उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के जानपदीय कार्यों के प्राक्कलन हेतु संशोधित शेड्यूल ऑफ रेट जारी किया गया जो कि दिनांक 23.09.2021 को प्रभावी हुआ। इसी प्रकार अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, गोरखपुर द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के जानपदीय कार्यों के प्राक्कलन हेतु संशोधित शेड्यूल ऑफ रेट कार्यालय ज्ञाप सं0–1020 दिनांक 24.09.2021 द्वारा लागू किया जो दिनांक 25.09.2021 से प्रभावी हुआ।

5. तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल (वितरण) वाराणसी द्वारा उनके अधीनस्थ विद्युत जानपद खण्ड (वितरण) गोरखपुर के अंतर्गत आने वाले जिलो में कराये जा रहे जानपदीय कार्यों के प्राक्कलन हेतु अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, गोरखपुर के कार्यालय ज्ञाप सं0–1020 दिनांक 24.09.2021 द्वारा जारी शेड्यूल ऑफ रेट को श्री राव के कार्यालय ज्ञाप सं0–2604 दिनांक 11.11.2021 द्वारा पूर्णतः अंगीकृत किया गया, जिसको दिनांक 12.11.2021 से प्रभावी किया गया। इसी प्रकार विद्युत जानपद खण्ड (वितरण), प्रयागराज के अंतर्गत आने वाले जिलों में कराये जा रहे जानपदीय कार्यों के प्राक्कलन हेतु अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज के कार्यालय ज्ञाप सं0–1696 दिनांक 23.09.2021 द्वारा जारी शेड्यूल ऑफ रेट को अंगीकृत करने हेतु अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल (वितरण), वाराणसी द्वारा कार्यालय ज्ञाप सं0–2605 दिनांक 11.11.2021 निर्गत किया गया।

इस प्रकार अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल (वि0), वाराणसी द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के जानपदीय कार्यों के प्राक्कलन हेतु विद्युत जानपद पारेषण मण्डल द्वारा जारी शेड्यूल ऑफ रेट को पूर्णतः अंगीकृत कर तत्काल प्रभाव से लागू किया गया।

6. कार्यालय विद्युत जानपद मण्डल (वि0), वाराणसी के अंतर्गत विभिन्न जानपदीय कार्यों के प्राक्कलन बनाने हेतु वर्ष 2017 में निर्गत शेड्यूल ऑफ रेट को माह नवम्बर 2021 में संशोधित किया गया तथा इस बीच में माह जुलाई 2020 में पारेषण इकाई द्वारा निर्गत शेड्यूल ऑफ रेट को जानपद वितरण मण्डल द्वारा लागू नहीं किया गया।

7. श्री राव द्वारा अपने अभिकथन में एक कथित पत्रकार श्री चन्द्रशेखर सिंह द्वारा प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 को की गयी शिकायत के सापेक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो कि पूर्णतः अप्रासंगिक है क्योंकि आरोपित आरोप में उक्त शिकायत को आधार अथवा साक्ष्य नहीं बनाया गया है। अग्रेतर श्री राव द्वारा अपने अभिकथन में वर्ष 2017 एवं 2020 की मुद्रास्फीति का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है, किन्तु उनके द्वारा

जाँच समिति को आरोपित आरोप के सापेक्ष कोई भी ऐसा तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्थापित किया जा सके कि उनके द्वारा कृत अनियमितता के कारण कॉरपोरेशन को वित्तीय क्षति हुयी है अथवा नहीं।

जाँच समिति की विवेचना:–

1. कार्यालय विद्युत जानपद मण्डल, (वितरण/पारेषण) द्वारा निर्गत शेड्यूल ऑफ रेट विभिन्न जानपदीय कार्यों के प्राक्कलन बनाने हेतु, एवं विभिन्न कार्य योजनाएं बनाये जाने हेतु अनुमानित लागत की गणना हेतु उपयोग में लाया जाता है। विभिन्न निविदाओं में प्रतिभाग करने वाले निविदादाताओं द्वारा अपनी दरें विभागीय शेड्यूल ऑफ रेट में वर्णित दरों के सापेक्ष QUOTE की जाती है, जो कि विभागीय शेड्यूल ऑफ रेट में वर्णित दरों के सापेक्ष, कम या अधिक हो सकती है।
2. किसी खुली निविदा का निस्तारण करने हेतु निविदा में, प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करने के पश्चात् न्यूनतम निविदाकार द्वारा निविदा दरों का मूल्यांकन कर, संबंधित अधिशासी/अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दरों की संस्तुति कर निविदा स्वीकृति हेतु सक्षम क्रय/कार्य समिति को प्रस्तुत की जाती है एवं सक्षम समिति द्वारा उस पर निर्णय लिया जाता है। न्यूनतम निविदादाता द्वारा निविदा दरें विभागीय शेड्यूल ऑफ रेट में वर्णित दरों के सापेक्ष अधिक होने पर न्यूनतम निविदादाता से विभागीय शेड्यूल ऑफ रेट मे वर्णित दरों पर कार्य करने हेतु निगोशियेसन किया जाता है। निगोशियेसन सफल होने पर न्यूनतम निविदादाता द्वारा विभागीय शेड्यूल ऑफ रेट में वर्णित दरों पर कार्य करने में सहमति व्यक्त की जाती है अन्यथा की स्थिति में उक्त तथ्यों को सक्षम क्रय/कार्य समिति को भेजे जाने वाले प्रस्ताव में सम्मिलित किया जाता है एवं सक्षम समिति द्वारा सभी तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए निर्णय लिया जाता है।
3. जाँच समिति के मौखिक अनुरोध किये जाने पर, अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज द्वारा माह सितम्बर 2017 एवं माह जुलाई 2020 में निर्गत शेड्यूल ऑफ रेट की प्रति ई–मेल के माध्यम से जाँच समिति को प्रेषित की। उक्त शेड्यूल ऑफ रेट के तुलनात्मक अध्ययन से दर्शित होता है कि जुलाई 2020 में निर्गत शेड्यूल ऑफ रेट में माह सितम्बर 2017 की अपेक्षा कुछ आइटम के दरों में वृद्धि हुई है, कुछ आइटम के दरों में कमी हुई है एवं कुछ दरे यथावत रखी गयी है तथा अभिलेखीय साक्ष्यों के अभाव में यह स्थापित किया जाना संभव नहीं है कि वर्ष 2020 में कार्यालय विद्युत जानपद मण्डल (वितरण) वाराणसी द्वारा पारेषण इकाई द्वारा निर्गत शेड्यूल ऑफ रेट को अंगीकृत/लागू न किये जाने के कारण, माह जुलाई 2020 एवं माह नवम्बर 2021 के मध्य कार्यालय विद्युत जानपद मण्डल (वितरण) द्वारा निर्णीत निविदाओं में कॉरपोरेशन को वित्तीय हानि हुई है अथवा नहीं।

अतः श्री राव माह जुलाई 2020 में कार्यालय विद्युत जानपद पारेषण मण्डल के अनुरूप कार्यालय विद्युत जानपद मण्डल (वि0), वाराणसी मे संशोधित शेड्यूल ऑफ रेट निर्गत कर लागू न करने के दोषी पाये गये है, किन्तु श्री राव के उक्त कृत्य से कॉरपोरेशन को वित्तीय हानि होने के तथ्य की पुष्टि न होने के दृष्टिगत श्री राव पर लगाया गया आरोप आंशिक रूप से सिद्ध होता है।

<u>जाँच समिति का निष्कर्ष</u> :– जाँच समिति द्वारा श्री कृष्ण मोहन राव (8637), तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल (वितरण), पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी सम्प्रति सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता के विरूद्ध लगाया गया एक मात्र आरोप संख्या–01 आंशिक रूप से सिद्ध पाया गया।

कारपोरेशन स्तर पर जाँच समिति द्वारा की गयी विवेचना के परीक्षणोपरान्त श्री राव से आंशिक सिद्ध पाये गये आरोप के सम्बन्ध कारपोरेशन पत्र संख्या–3072–शि0जाँ0–05(एफ)/पाकालि/2022– 7(18)05एफ/2022 दिनांक 12.09.2022 द्वारा 15 दिनों की समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया।

श्री राव ने अपने पत्र संख्या–शून्य दिनांक 19.09.2022 द्वारा अपना अभ्यावेदन कारपोरेशन मुख्यालय को उपलब्ध कराया जिसका विवरण/परीक्षण निम्नवत् है:–

क्र0सं0	अभ्यावेदन	परीक्षण
बिन्दु संख्या–01	वर्ष 1 जुलाई 2017 से जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त कर संरचना मे बदलाव के कारण विभागीय कार्यो के प्राक्कलन तैयार करने हेतु विभागीय शेड्यूल ऑफ रेट को संशोधित करना अपरिहार्य हो गया था। तत्कालीन मुख्य अभियन्ता(जानपद) एवं डिस्कॉम प्रबन्धन से वार्ता उपरान्त निर्णय लिया गया कि विद्युत जानपद पारेषण मण्डल प्रयागराज ने अपने कार्य क्षेत्र के लिए 1 जुलाई 2017 के बाद से यदि कोई शेड्यूल ऑफ रेट लागू किया है तो उसे अंगीकृत कर लिया जाये, क्योंकि डिस्कॉम मे जानपद स्कन्ध का कार्य क्षेत्र, जानपद पारेषण मण्डल प्रयागराज के कार्य क्षेत्र के समान है। तदनुसार अधीक्षण अभियन्ता विद्युत जानपद पारेषण मण्डल प्रयागराज के कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर निर्गत शेड्यूल ऑफ रेट के कार्यालय ज्ञाप सं0 1602 दिनाकं 01.09.2017 की प्रति प्राप्त किया गया क्योकि इस कार्यालय ज्ञाप को पूर्वांचल डिस्कॉम को पृष्ठांकित नही किया गया था, तदोपरान्त विद्युत जानपद मण्डल(वितरण) वाराणसी द्वारा कार्यालय ज्ञाप सं0 3862 दिनाकं 23.09.2017 द्वारा इस शेड्यूल ऑफ रेट को अंगीकृत कर तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया।	यद्यपि श्री राव द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या–1602, दिनांक 01.09.2017 द्वारा जारी शेड्यूल ऑफ रेट को कार्यालय ज्ञाप संख्या–3862, दिनांक 23.09.2017 द्वारा अंगीकृत किया गया, किन्तु कार्यालय ज्ञाप संख्या–963, दिनांक 09.07.2020 द्वारा नये शेड्यूल ऑफ रेट को कर अपने कार्य क्षेत्र में लागू नहीं किया गया। कार्यालय ज्ञाप की प्रति ससमय प्राप्त न होने के कारण नये शेड्यूल ऑफ रेट विलम्ब दिनांक 11.11.2021 से अंगीकृत करने हेतु उन पर लगाया गया आरोप आंशिक रूप से सिद्ध होता है।
बिन्दु संख्या–02, 03 एवं 06	वर्ष 2020 मे विद्युत जानपद पारेषण मण्डल प्रयागराज द्वारा निर्गत पुनरीक्षित शेड्यूल ऑफ रेट के कार्यालय ज्ञाप को भी पूर्वांचल डिस्कॉम को पृष्ठांकित नही किया गया था। अतः इसकी जानकारी नही हो पाई। इस बिन्दु पर जांच समिति को आरोप पत्र के उत्तर के प्रथम पैरा की अन्तिम लाइन मे अवगत कराया गया कि वर्ष 2020 मे अधीक्षण अभियन्ता विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज के कार्यालय ज्ञाप सं0 963 दिनाकं 02.07.2020 पूर्वांचल डिस्कॉम को पृष्ठांकित नही किया गया है। पृष्ठांकन नही होने से इस कार्यालय ज्ञाप की जानकारी श्री राव को नही हो पाई। परन्तु उनके इस लिखित बयान को जांच समिति ने संज्ञान मे नही लिया। इसके अतिरिक्त दिनाकं 05.08.2022 को प्रस्तुत साक्ष्य के साथ संलग्न पत्र मे उन्होने स्पष्ट उल्लेख किया है कि उ0प्र0 पारेषण निगम के अधीन किसी भी जानपद इकाई द्वारा निर्गत प्रत्येक शेड्यूल को लागू करने की डिस्कॉम को कोई बाध्यता नही है एवं न ही ऐसा कोई आदेश है क्योंकि पारेषण निगम के अधीन जानपद इकाई अपने अधीन कार्य क्षेत्र मे कार्य सम्पादन हेतु शेड्यूल लागू किया जाता है, न कि डिस्कॉम इकाई के कार्य क्षेत्र के लिए। यह पूर्ण रूप से	श्री राव का यह कथन है कि अधीक्षण अभियन्ता विद्युत जानपद पारेषण मण्डल प्रयागराज के कार्यालय ज्ञाप संख्या–963 दिनांक 02.07.2020 की प्रति पूर्वान्चल डिस्काम को पृष्ठांकित नहीं होने के कारण अंगीकृत नहीं किया जा सका, स्वीकार्य नहीं है। श्री राव का दायित्व था कि निविदा आमंत्रित करते समय डिस्काम/मुख्यालय के आदेशों की अद्यतन सूचना एकत्रित कर निविदा आमन्त्रित करते। अतः श्री राव पर लगाये गये आरोप का यह अंश आंशिक रूप से सिद्ध होता है।

	डिस्कॉम प्रबन्धन एवं मुख्य अभियन्ता(जानपद) के निर्णय पर निर्भर करता है क्योंकि मुख्य अभियन्ता(जानपद) निविदा कार्य समिति के अध्यक्ष या संयोजक होते हैं। श्री राव के इस बयान को भी जांच समिति ने नजर अन्दाज किया एवं इस पर अपना कोई मन्तव्य व्यक्त नही किया गया। जांच समिति ने इस बिन्दु पर भी अपना निष्पक्ष अभिमत एवं न्याय नही किया गया।	
बिन्दु संख्या–04 एवं 05	अधीक्षण अभियन्ता विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज एवं गोरखपुर द्वारा निर्गत संशोधित शेड्यूल ऑफ रेट कार्यालय ज्ञाप संख्या 1696 दिनांक 23.09.2021 एवं 1020 दिनांक 29.09.2021 पूर्वांचल डिस्कॉम को पृष्ठांकित नही थी। आरोप पत्र के अनुसार दिनांक 10.11.2021 को पेपर मे समाचार प्रकाशित होने के पश्चात तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता विद्युत जानपद मण्डल वाराणसी द्वारा अपने कार्यालय के विभिन्न कार्यालय ज्ञाप द्वारा अगींकृत किया गया। पेपर मे इसे एक अनियमितता के रूप मे परिभाषित किया गया है, जब कि ऊपर के बिन्दुओं एवं नीचे दिये जा रहे स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2020 के शेड्यूल ऑफ रेट को लागू नही करना, कोई अनियमितता नही है। वर्ष 2017 के शेड्यूल ऑफ रेट को संशोधित नही करने का एक कारण यह भी है कि वर्तमान बाजार भाव की तुलना मे 2017 के शेड्यूल ऑफ रेट के प्राक्कलित लागत पर निविदित दरें न्यायोचित आ रही थी तथा इस पर निविदा सदस्यों को कोई आपत्ति नही हुई। साक्ष्य के रूप मे निविदा दरों की सूची संलग्न है।	श्री राव द्वारा वर्ष 2021 में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1696, दिनांक 23.09.2021 एवं अधीक्षण अभियन्ता विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, गोरखपुर के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1020, दिनांक 24.09.2021 द्वारा जारी नये शेड्यूल ऑफ रेट को कार्यालय ज्ञाप क्रमश संख्या–2605, दिनांक 11.11.2021 एवं सं0–2604, दिनांक 11.11.2021 द्वारा सम्बन्धित क्षेत्रों हेतु अंगीकृत किया गया। इस प्रकार जुलाई–2020 सेनवम्बर–2021 तक विद्युत जानपद मण्डल (वितरण), वाराणसी द्वारा पुराने शेड्यूल ऑफ रेट पर ही कार्य कराया गया, जिसके कारण श्री राव आंशिक रूप से दोषी है।
बिन्दु संख्या–07	जांच समिति ने अपने मत के बिन्दु 7 मे उल्लेख किया है कि श्री राव द्वारा अपने अभिकथन मे वर्ष 2017 एवं 2020 की मुद्रास्फीति का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है, किन्तु उनके द्वारा जांच समिति को आरोपित आरोप के सापेक्ष कोई भी ऐसा तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत नही किया गया है, जिससे यह स्थापित किया जा सके कि उनके द्वारा कृत अनियमितता के कारण कॉर्पोरेशन को वित्तीय क्षति हुई है अथवा नही। जांच समिति का यह मत सत्य नही है एवं भ्रमित करने वाला है। दिनांक 05.08.2022 को प्रस्तुत साक्ष्य जिसकी जांच समिति ने अपने प्रस्तावना मे प्राप्ति की पुष्टि की है, वर्ष 2017 एवं 2020 मे दरो का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया है जिसमे यह स्पष्ट हो रहा है कि वर्ष 2020 मे निर्गत शेड्यूल की दरो मे वर्ष 2017 मे निर्गत शेड्यूल की दरो के सापेक्ष प्राक्कलन लागत मे 2.45 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। जांच समिति को दिनांक 05.08. 2022 को साक्ष्य के रूप मे इस बिन्दु पर उनके द्वारा एक आख्या प्रेषित की गई थी, जिसमे शेड्यूल ऑफ रेट 2017 एवं वर्ष 2020 की दरो पर परिवर्तक मरम्मत कार्यशाला के शेड के निर्माण हेतु बीजक मात्रा के साथ तुलनात्मक प्राक्कलन लागत प्रेषित किया	श्री राव द्वारा अपने अभ्यावेदन में वर्ष–2017 एवं वर्ष 2020 की मुद्रास्फीति का तुल्नात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है, किन्तु उनके द्वारा आरोपित आरोप के सापेक्ष कोई भी ऐसा तुल्नात्मक विवरण प्रस्तुत नही किया गया है, जिससे यह स्थापित किया जा सके कि उनके द्वारा कारित अनियिमितता के कारण कारपोरेशन को कोई वितीय क्षति नही हुयी है। अतः आरोप का यह अंश भी उन पर आंशिक रूप से सिद्ध होता है।

	गया था। बीजक मात्रा के कुल 130 आइटम का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि 37 आइटम की दरें 2020 के शेड्यूल मे बढ़ी हुई हैं। 15 आइटम की दरें 2020 के शेड्यूल मे कम हुई हैं। 31 शेड्यूल आइटम एवं 47 (NSI) आइटम की दरो मे कोई परिवर्तन नही हुआ है। बीजक मात्रा मे ली गई लगभग मात्रा के आधार पर 2020 की लागत 2017 की तुलना मे 2.45 प्रतिशत अधिक लागत आ रही है। प्राक्कलन लागत कार्य के विभिन्न मापदण्डो पर निर्भर करता है। जांच समिति ने भी अपनी विवेचना के बिन्दु 3 मे इस तथ्य को स्वीकार किया है। वर्ष 2020 के शेड्यूल ऑफ रेट से प्राक्कलन लागत बढ़ रही है, अतः वर्ष 2020 के शेड्यूल ऑफ रेट को लागू नही करने से कॉर्पोरेशन को कोई भी वित्तीय हानि नही हुई है।	

मेरे द्वारा श्री कृष्ण मोहन राव (8637), तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल (वितरण), पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी से प्राप्त अभ्यावेदन एवं जाँच आख्या का पत्रावली में उपलब्ध संगत अभिलेखों के साथ अध्ययन किया गया। मैं प्रकरण में श्री राव को जुलाई 2020 में विद्युत जानपद पारेषण मण्डल के अनुरूप संशोधित रेट शेड्यूल को लागू नहीं करने का दोषी पा रहा हूँ। मैं वर्णित परिस्थितियों में श्री राव को सी0एस0आर0 की धारा 351 ए में निहित प्राविधानानुसार शास्ति अधिरोपित किये जाने की स्थिति पा रहा हूँ।

अतः श्री कृष्ण मोहन राव (8637), तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल (वितरण), पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी, सम्प्रति सेवानिवृत्त (दिनांक 31.10.2021) को सी0एस0आर0 के धारा 351–ए के प्राविधानानुसार एतद्द्वारा उनकी देय पेन्शन से 3% (तीन प्रतिशत) कटौती की शास्ति प्रदान करते हुए उनके विरूद्ध प्रचलित प्रश्नगत प्रकरण को समाप्त किया जाता है।

(एम0 देवराज)
अध्यक्ष
23/12/2

संख्या–4556(1)शि0जॉ0–05(एफ) / पाकालि / 22–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी।
2. संयुक्त सचिव (अ0प्र0–01), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. अनु सचिव (अ0प्र0–2अ), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. लेखाधिकारी (वे0 एवं ले0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. लेखाधिकारी (पेंशन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. श्री कृष्ण मोहन राव (8637), अधीक्षण अभियन्ता (सेवानिवृत्त), डी / 3 / 51 असंल एपीआई गोल्फ सिटी, सुल्तानपुर रोड, शहीद पथ, लखनऊ–226030।
7. अभिरक्षण पत्रावली / स0स0अ0(अन्तर्ग्रस्तता)।

आज्ञा से,
B.yadav
(बी0 एल0 यादव)
अनु सचिव (शि0जॉ0–05एफ)

O/C

संलग्नक -05

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ-226001.
CIN : U32201UP1999SGC024928.

संख्या–4557–शि0जॉ0–05(एफ)/पाकालि/2022–7(18)05एफ/2022 दिनांक: 26.11.2022

आदेश

श्री संजय कुमार जैन(8626) की विद्युत जानपद क्षेत्र (वितरण), पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी में मुख्य अभियन्ता के पद पर तैनाती अवधि में माह जुलाई 2020 में नया रेट शेड्यूल लागू न करने, लगभग 16 माह तक नियम विरूद्ध तरीके से पुरानी बढ़ी हुयी दरों पर निविदाएं आमंत्रित कर अनुबन्ध करने, स्वहित में फर्मो/ठेकेदारों को अधिक भुगतान करके कारपोरेशन को वित्तीय हानि पहुँचाने, अधीनस्थों पर समुचित नियंत्रण न रखने, अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने एवं उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 का उल्लंघन करने के प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर कारपोरेशन पत्रांक–1753–शि0जॉ0–05(एफ)/पाकालि/22– 7(18)05एफ/2022 दिनांक 28.05.2022 द्वारा प्रकरण जाँच/अनुशासनिक कार्यवाही हेतु मुख्य अभियन्ता(जाँच समिति) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ को सन्दर्भित किया गया।

सन्दर्भित प्रकरण में उ0प्र0पा0का0लि0 कार्मिक(अनुशासन एवं अपील) विनियमावली, 2020 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण की जॉच कर जाँच आख्या कारपोरेशन(मु0) को उपलब्ध कराने की जाँच समिति, उ0प्र0पा0का0लि0 से अपेक्षा की गई।

जाँच समिति के अपने पत्रांक–1011/मु0अ0जाँ0स0/पाकालि/2022/234–05/2022 दिनांक 20.06.2022 द्वारा निर्गत आरोप पत्र संख्या 1010/सं0–234/जाँ0स0/(05/22) दिनांक 20.06.2022 निर्गत किया जो श्री जैन को दिनांक 30.06.2022 को प्राप्त हो गया। श्री जैन ने अपने पत्र दिनांक 25.07.2022 द्वारा अपना लिखित अभिकथन जाँच समिति को प्रस्तुत किया। जाँच समिति के पत्रांक–1186/मु0अ0जाँ0स0/पाकालि/2022/234–05/2022 दिनांक 26.07.2022 द्वारा श्री जैन को दिनांक 30.07.2022 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। श्री जैन उक्त तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए एवं अपना बयान दर्ज कराया।

जाँच समिति ने पत्रांक–1249/सं०–234/जाँ०सं०/(05/22), दिनांक 06.08.2022 द्वारा जाँच आख्या कारपोरेशन मुख्यालय को उपलब्ध करायी। जाँच समिति द्वारा श्री जैन को मात्र 01 आरोप से आरोपित किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

आरोप सं0 :–1

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के अर्न्तगत विद्युत जानपद मण्डल (वितरण), वाराणसी द्वारा सिविल कार्यो के टेण्डर/अनुबन्ध में कार्यो की दरों हेतु उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0 की इकाई विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज/गोरखपुर के द्वारा जारी शेड्यूल दरों को वर्ष 2017 एवं 2021 में पूर्णतः अंगीकृत करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया गया।

वर्ष 2017 में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज के कार्यालय ज्ञाप सं0–1602 दिनांक 01.09.2017 द्वारा जारी शेड्यूल ऑफ रेट को अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल, वाराणसी के कार्यालय ज्ञाप

सं0–3862 दिनांक 23.09.2017 द्वारा पूर्णतः अंगीकृत करके तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। परन्तु उनके द्वारा वर्ष 2020 में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज के कार्यालय ज्ञाप सं0–963 दिनांक 02.07.2020 द्वारा जारी नये शेड्यूल रेट को अपने कार्य क्षेत्र हेतु अंगीकृत कर लागू नहीं किया गया तथा वर्ष 2017 के ही पुराने शेड्यूल रेट को प्रभावी रखा गया। दिनांक 10.11.2021 को उक्त अनियमितता से सम्बन्धित खबरें दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुयीं जिसका संज्ञान लेते हुए श्री अरविन्द कुमार सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता द्वारा वर्ष 2021 में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज के कार्यालय ज्ञाप सं0–1696 दिनांक 23.09.2021 एवं अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, गोरखपुर के कार्यालय ज्ञाप सं0–1020 दिनांक 24.09.2021 द्वारा जारी नये शेड्यूल रेट को कार्यालय ज्ञाप क्रमशः सं0–2605 दिनांक 11.11.2021 एवं सं0–2604 दिनांक 11.11.2021 द्वारा संबंधित क्षेत्रों हेतु अंगीकृत किया गया।

इस प्रकार जुलाई 2020 से लेकर नवम्बर 2021 तक विद्युत जानपद मण्डल (वितरण), वाराणसी द्वारा पुराने शेड्यूल रेट पर ही कार्य कराया गया। वर्ष 2017 के शेड्यूल ऑफ रेट में सिविल कार्यों हेतु निर्धारित दरें काफी ज्यादा थी जबकि वर्ष 2020 की शेड्यूल ऑफ रेट की दरें वर्ष 2017 की तुलना में कम थीं। नियमानुसार कॉरपोरेशन कार्यहित में श्री जैन द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में पारेषण यूनिटों द्वारा वर्ष 2020 में निर्धारित शेड्यूल ऑफ रेट को लागू करना/कराना चाहिए था, जो कि श्री जैन द्वारा नहीं किया गया।

श्री जैन द्वारा अपने पद एवं अधिकार का दुरूपयोग करके माह जुलाई 2020 से नवम्बर 2021 तक लगभग 16 माह तक अपने अधीनस्थों के माध्यम से बढ़ी हुयी दरों पर निविदाएं आमंत्रित कर अनुबन्ध किये गये एवं तदनुसार ठेकेदारों को अनैतिक लाभ पहुँचाकर कॉरपोरेशन को वित्तीय हानि पहुँचायी गयी।

अतः माह जुलाई 2020 में नया रेट शेड्यूल लागू न करने, लगभग 16 माह तक नियम विरूद्ध तरीके से पुरानी बढ़ी हुयी दरों पर अपने अधीनस्थों के माध्यम से निविदाऐं आमंत्रित कर अनुबन्ध करने, स्वहित में फर्मों/ठेकेदारों को अधिक भुगतान करके कॉरपोरेशन को वित्तीय हानि पहुँचाने, अधीनस्थों पर समुचित नियंत्रण न रखने, अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने तथा उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 का उल्लंघन करने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाते हुए श्री जैन को आरोपित किया गया।

अभिकथन :–

श्री जैन द्वारा अवगत कराया गया है कि शेडयूल ऑफ रेट अंगीकृत/जारी करने से संदर्भित कार्यालय ज्ञाप संख्या–1602 दिनांक 01.09.2017, संख्या–3862 दिनांक 23.09.2017, संख्या–963 दिनांक 02.07.2020, संख्या–1696 दिनांक 23.09.2021, संख्या–1020 दिनांक 24.09.2021, संख्या–2605 दिनांक 11.11.2021, एवं संख्या–2604 दिनांक–11.11.2021 सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा जारी एवं अंगीकृत किये गये है। विभाग में शेडयूल ऑफ रेट जारी/अंगीकृत करने की बारम्बारता के सम्बन्ध में स्पष्ट दिशा–निर्देश उपलब्ध न होने के कारण प्रचलित प्रथा के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर खण्डीय अधिकारियों द्वारा शेड्यूल ऑफ रेट में संशोधन, पुनरीक्षण करने की संस्तुति अधीक्षण अभियन्ता को उपलब्ध करायी जाती है तथा अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अधीक्षण अभियन्ता पद में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए की गयी संस्तुति को स्वीकृत कर शेडयूल ऑफ रेट पुनरीक्षित/अंगीकृत करने के आदेश जारी किये जाते है। इस प्रक्रिया में मुख्य अभियन्ता की कोई भी भूमिका न तो विभाग द्वारा निर्दिष्ट की गयी है और न ही अधीक्षण अभियन्ता द्वारा इस आशय की कोई भी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता से प्राप्त की जाती है।

अधीक्षण अभियन्ता द्वारा जारी संदर्भित सभी कार्यालय ज्ञापों में स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि शेडयूल ऑफ रेट मात्रा दर सूची, प्राक्कलन बनाने तथा निविदाओं में प्राप्त दरों के औचित्य निर्धारण हेतु ही मार्ग–दर्शन प्रदान

करता है। जानपदीय कार्य कराये जाने हेतु कार्य आदेश अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता द्वारा निर्गत किये जाते है। शेड्यूल ऑफ रेट पर सीधे कोई भी कार्य आदेश निर्गत नहीं किया जाता है।

विभाग में कार्य खुली निविदा के आधार पर प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करने के पश्चात न्यूनतम निविदाकार द्वारा निविदित दरों का बाजार भाव, मुद्रा स्फूर्ति, निविदा के गुण दोष इत्यादि के सापेक्ष निविदा का मूल्यांकन कर अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दरों की संस्तुति करते हुए निविदा स्वीकृति हेतु सक्षम निविदा क्रय/कार्य समिति को प्रस्तुत की जाती है, जिस पर विभाग द्वारा गठित सक्षम क्रय/कार्य निविदा समिति द्वारा (जिसमें तकनीकी एवं लेखा स्कन्ध के नामित वरिष्ठ, अधिकारी सदस्य होते हैं), प्रस्तुत निविदा संस्तुति रिपोर्ट के सभी तकनीकी एवं वित्तीय पहलुओं पर विचार करते हुए निविदा पर सामूहिक निर्णय लिया जाता है, न कि किसी भी व्यक्ति विशेष द्वारा व्यक्तिगत रूप से।

अतः उपरोक्त के आलोक में श्री जैन पर लगाया गया आरोप कि "उनके द्वारा अपने पद एवं अधिकार का दुरूपयोग करके माह जुलाई 2020 से नवम्बर 2021 तक लगभग 16 महीने तक अपने अधीनस्थों के माध्यम से बढ़ी हुई दरों पर निविदाये आमंत्रित कर अनुबन्ध किये गये एवं तदानुसार में ठेकेदार को अनैतिक लाभ पहुचाकर कारपोरेशन को वित्तीय हानि पहुँचायी" तर्क संगत नहीं है।

श्री जैन का कथन है कि उनके द्वारा मुख्य अभियन्ता (जानपद), वाराणसी के पद पर तैनाती के दौरान अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा से किया गया तथा किसी भी फर्म/ठेकेदार को अधिक भुगतान करके कारपोरेशन को कोई भी वित्तीय हानि नहीं पहुँचायी गयी और न ही उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 का उल्लंघन किया गया है।

जाँच समिति का मत :–

1. वर्ष 2017 में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज के कार्यालय ज्ञाप सं0–1602 दिनांक 01.09.2017 द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत, जानपदीय कार्यो के प्राक्कलन एवं अन्य योजनाओं के जानपदीय कार्यो के लिए अनुमानित लागत की गणना हेतु, जारी शेड्यूल ऑफ रेट को श्री जैन तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल, वाराणसी कार्यालय ज्ञाप सं0–3862 दिनांक 23.09.2017 द्वारा पूर्णतः अंगीकृत करके तत्काल प्रभाव से लागू किया गया।
2. वर्ष 2020 में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज द्वारा पूर्व में उनके कार्यालय द्वारा दिनांक 01.09.2017 को निर्गत शेड्यूल ऑफ रेट को पुनरिक्षित करने हेतु, वर्तमान बजार के दरों के आधार पर, अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत, जानपदीय कार्यो के प्राक्कलन एवं अन्य योजनाओं के जानपदीय कार्यो के लिए अनुमानित लागत की गणना हेतु, संशोधित शेड्यूल ऑफ रेट उनके कार्यालय ज्ञाप सं0–963 दिनांक 02.07.2020 द्वारा जारी किया जो कि दिनांक 10.07.2020 से प्रभावी हुआ।
3. तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल (वितरण), वाराणसी द्वारा वर्ष 2020 में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज के कार्यालय ज्ञाप सं0–963 दिनांक 02.07.2020 द्वारा जानपदीय कार्यो हेतु जारी नये शेड्यूल रेट को अपने कार्यक्षेत्र हेतु अंगीकृत कर लागू नहीं किया गया एवं वर्ष 2017 के ही उक्त कार्यालय ज्ञाप सं0–3862 दिनांक 23.09.2017 द्वारा निर्गत पुराने शेड्यूल रेट को ही जानपदीय कार्यो के प्राक्कलन इत्यादि कार्यो हेतु प्रभावी रखा गया एवं उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र में कराये गये समस्त जानपदीय कार्यो का प्राक्कलन वर्ष 2017 में निर्गत शेड्यूल ऑफ रेट के आधार पर ही तैयार कराया जाता रहा।
4. पुनः वर्ष 2021 में अधीक्षण अभियन्ता विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज कार्यालय ज्ञाप सं0–1696 दिनांक 23.09.2021 द्वारा उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के जानपदीय कार्यो के प्राक्कलन हेतु संशोधित शेड्यूल ऑफ रेट जारी

किया गया जो कि दिनांक 23.09.2021 को प्रभावी हुआ। इसी प्रकार अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, गोरखपुर द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के जानपदीय कार्यों के प्राक्कलन हेतु संशोधित शेड्यूल ऑफ रेट कार्यालय ज्ञाप सं0–1020 दिनांक 24.09.2021 द्वारा लागू किया जो कि दिनांक 25.09.2021 से प्रभावी हुआ।

5. तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल (वितरण) वाराणसी द्वारा उनके अधीनस्थ विद्युत जानपद खण्ड (वितरण) गोरखपुर के अंतर्गत आने वाले जिलो में कराये जा रहे जानपदीय कार्यो के प्राक्कलन हेतु अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, गोरखपुर के कार्यालय ज्ञाप सं0–1020 दिनांक 24.09.2021 द्वारा जारी शेड्यूल ऑफ रेट को अपने कार्यालय ज्ञाप सं0–2604 दिनांक 11.11.2021 द्वारा पूर्णतः अंगीकृत किया गया, जिसको दिनांक 12.11.2021 से प्रभावी किया गया। इसी प्रकार विद्युत जानपद खण्ड (वितरण), प्रयागराज के अंतर्गत आने वाले जिलों में कराये जा रहे जानपदीय कार्यों के प्राक्कलन हेतु अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज के कार्यालय ज्ञाप सं0–1696 दिनांक 23.09.2021 द्वारा जारी शेड्यूल ऑफ रेट को अंगीकृत करने हेतु अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल (वितरण), वाराणसी द्वारा कार्यालय ज्ञाप सं0–2605 दिनांक 11.11.2021 निर्गत किया गया।

इस प्रकार अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल (वि0), वाराणसी द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के जानपदीय कार्यों के प्राक्कलन हेतु विद्युत जानपद पारेषण मण्डल द्वारा जारी शेड्यूल ऑफ रेट को पूर्णतः अंगीकृत कर तत्काल प्रभाव से लागू किया गया।

6. जाँच समिति का कथन है कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्यालय विद्युत जानपद मण्डल (वि0), वाराणसी के अंतर्गत विभिन्न जानपदीय कार्यो के प्राक्कलन बनाने हेतु माह सितम्बर 2017 में निर्गत शेड्यूल ऑफ रेट को माह नवम्बर 2021 में संशोधित किया गया तथा इस बीच में माह जुलाई 2020 में पारेषण इकाई द्वारा निर्गत शेड्यूल ऑफ रेट को जानपद वितरण मण्डल द्वारा लागू नहीं किया गया।

जाँच समिति की विवेचना :–

विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन द्वारा निर्गत/जारी शेड्यूल ऑफ रेट का अंगीकृत करने का निर्णय एवं उक्त के सापेक्ष कार्यालय ज्ञाप निर्गत करने का कार्य अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल (वितरण) के द्वारा ही किया जाता है तथा वर्ष 2020 में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज के कार्यालय ज्ञाप सं0–963 दिनांक 02.07.2020 द्वारा जारी नये शेड्यूल ऑफ रेट को अपने कार्यक्षेत्र हेतु अंगीकृत न करने हेतु मुख्य रूप से अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल (वितरण) उत्तरदायी है, किन्तु मुख्य अभियन्ता के पद पर तैनात श्री जैन का भी दायित्व था कि वह अपने अधीनस्थों के कार्यो का उचित पर्यवेक्षण करते तथा अधीक्षण अभियन्ता को निर्देशित करते कि वह विद्युत जानपद पारेषण मण्डल द्वारा निर्गत नवीन शेड्यूल ऑफ रेट को अपने कार्यक्षेत्र हेतु अंगीकृत करें, जो कि श्री जैन द्वारा नहीं किया गया।

अतः अपने पर्यवेक्षणीय दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता बरतने हेतु श्री जैन पर लगाया गया आरोप आंशिक रूप से सिद्ध होता है।

जाँच समिति का निष्कर्ष :–कॉरपोरेशन से प्राप्त पत्रावली, श्री जैन पर लगाये गये आरोप की गहन विवेचना के उपरान्त जाँच समिति सर्वसम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि श्री संजय कुमार जैन (8626), तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, विद्युत जानपद क्षेत्र (वितरण), पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी, सम्प्रति सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता के विरूद्ध लगाया गया एक मात्र आरोप सं0–01 आंशिक रूप से सिद्ध होता है।

जाँच समिति की जाँच आख्या के परीक्षणोपरान्त श्री जैन से आंशिक रूप से सिद्ध पाये गये आरोप के सम्बन्ध में कारपोरेशन पत्र संख्या–3073–शि0जाँ0–05(एफ)/पाकालि/2022–7(18)05एफ/2022 दिनांक 12.09.2022 द्वारा 15 दिनों की समयावधि में अभ्यावेदन उपलब्ध कराने का अवसर प्रदान किया गया। श्री जैन ने अपने पत्र संख्या–शून्य दिनांक 30.09.2022 द्वारा अपना अभ्यावेदन कारपोरेशन मुख्यालय को उपलब्ध कराया जिसका विवरण/परीक्षण निम्नवत् है:–

जाँच समिति का मत एवं निष्कर्ष	अभ्यावेदन के इंगित बिन्दु	परीक्षण
विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन द्वारा निर्गत/जारी शेड्यूल ऑफ रेट का अंगीकृत करने का निर्णय एवं उक्त के सापेक्ष कार्यालय ज्ञाप निर्गत करने का कार्य अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल (वितरण) के द्वारा ही किया जाता है तथा वर्ष 2020 में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, प्रयागराज के कार्यालय ज्ञाप सं0–963 दिनांक 02.07.2020 द्वारा जारी नये शेड्यूल ऑफ रेट को अपने कार्यक्षेत्र हेतु अंगीकृत न करने हेतु मुख्य रूप से अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल (वितरण) उत्तरदायी है, किन्तु मुख्य अभियन्ता के पद पर तैनात श्री जैन का भी दायित्व था कि वह अपने अधीनस्थों के कार्यों का उचित पर्यवेक्षण करते तथा अधीक्षण अभियन्ता को निर्देशित करते कि वह विद्युत जानपद पारेषण मण्डल द्वारा निर्गत नवीन शेड्यूल ऑफ रेट को अपने कार्यक्षेत्र हेतु अंगीकृत करें, जो कि श्री जैन द्वारा नहीं किया गया। अतः अपने पर्यवेक्षणीय दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता बरतने हेतु श्री जैन पर लगाया गया आरोप आंशिक रूप से सिद्ध होता है। **जाँच समिति का निष्कर्ष :–** कॉरपोरेशन से प्राप्त पत्रावली, श्री जैन पर लगाये गये आरोप की गहन विवेचना के उपरान्त जाँच समिति सर्वसम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि श्री संजय कुमार जैन (8626), तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, विद्युत	जनपदीय कार्यों हेतु शेड्यूल ऑफ रेट को लागू करने, पुनरीक्षित करना पूर्णतः अधीक्षण अभियन्ता के कर्तव्यों में निहित है। उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग की वेबसाईट पर मुख्य अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता के आवश्यक कर्तव्य निम्न प्रकार वर्णित है:– **Chief Engineer:** **Essential Functions:** - To exercise over all control of the works under execution - Progress and Quality. Technical Sanction of all works above than Rs. 1 Crore. - To approve tenders above Rs. 1 Crore for acceptance by SE. - Administrative and technical head within the jurisdiction of the zone. - Important link between local administration at Divisional Commissioner's level and UPPWD. **Superintending Engineer:** **Essential Functions:** The Superintending Engineer is the administrative and technical head of a circle. To review and revise schedule of rates as well as sanction rates for new items. He has to inspect the important works in his Circle and is overall responsible for progress and quality of the works being executed. To accord technical sanction to the estimates for the works up to Rs 1 Crores. ➢ To accord acceptance of tenders and sign contract agreement on behalf of Governor of UP up to Rs. 1 Crore. Similar powers can be exercised above Rs. 1 Crore with the approval of Chief Engineer.	श्री संजय कुमार जैन (8626), तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, ने अवगत कराया है कि लोक निर्माण विभाग "नई मदों के लिए 'दरों की अनुसूची' (शेड्यूल ऑफ रेट) के साथ–साथ स्वीकृत दरों की समीक्षा और संशोधन करना" (To review and revise schedule of rates as well as sanction rates for new items.), अधीक्षण अभियन्ता के कार्य दायित्व एवं कर्त्तव्य है जबकि श्री जैन ने उ0प्र0पा0का0लि0 में लागू व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। श्री जैन द्वारा विद्युत जानपद पारेषण मण्डल द्वारा निर्गत नवीन शेड्यूल ऑफ रेट को अपने कार्यक्षेत्र में अंगीकृत करने हेतु तथा अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल, वाराणसी के कार्यों का यथोचित पर्यवेक्षण एवं निर्देशन नहीं किया गया। अतः श्री संजय कुमार जैन (8626), तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, विद्युत जानपद क्षेत्र (वितरण), पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी, सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध लगाया आरोप आंशिक रूप से सिद्ध होता है।

जानपद क्षेत्र (वितरण), पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी, सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध लगाया गया एक मात्र आरोप सं0–01 आंशिक रूप से सिद्ध होता है।	अधीक्षण अभियन्ता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी है। उन्हें अपने प्रदत्त आवश्यक कर्तव्यों के निर्वहन में उच्चाधिकारियों से किसी भी प्रकार से निर्देश की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।	

मेरे द्वारा श्री संजय कुमार जैन(8626), तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, विद्युत जानपद क्षेत्र (वितरण), पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी से प्राप्त अभ्यावेदन एवं जाँच आख्या का पत्रावली में उपलब्ध संगत अभिलेखों के साथ अध्ययन किया गया। मैं प्रकरण में श्री जैन को विद्युत जानपद पारेषण मण्डल द्वारा निर्गत नये रेट शेड्यूल को अपने कार्यक्षेत्र में अंगीकृत न करने तथा अधीक्षण अभियन्ता विद्युत जानपद मण्डल, वाराणसी के कार्यो का यथोचित पर्यवेक्षण न करने का दोषी पा रहा हूँ। मैं वर्णित परिस्थितियों में श्री जैन को सी0एस0आर0 की धारा 351 ए में निहित प्राविधानानुसार शास्ति अधिरोपित किये जाने की स्थिति पा रहा हूँ।

अतः श्री संजय कुमार जैन तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, विद्युत जानपद क्षेत्र (वितरण), पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी सम्प्रति सेवानिवृत्त को सी0एस0आर0 के धारा 351–ए मे निहित प्राविधानानुसार एतद्द्वारा उनकी देय पेंशन से 3% (तीन प्रतिशत) कटौती की शास्ति प्रदान करते हुए उनके विरूद्ध प्रचलित प्रकरण को समाप्त किया जाता है।

(एम0 देवराज)
अध्यक्ष

संख्या–4557(1)शि0जॉ0–05(एफ)/पाकालि/22–तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी।
2. संयुक्त सचिव (अ0प्र0–01), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. अनु सचिव (अ0प्र0–2अ), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. लेखाधिकारी (वे0 एवं ले0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. लेखाधिकारी (पेंशन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. श्री संजय कुमार जैन(8626), मुख्य अभियन्ता(सेवानिवृत्त), 242, हरनामदास रोड, सिविल लाइन्स, मेरठ।
7. अभिरक्षण पत्रावली/स0स0अ0(अन्तर्ग्रस्तता)।

आज्ञा से,

(बी0 एल0 यादव)
अनु सचिव (शि0जॉ0–05एफ)